जामिया मिल्लिया इस्लामिया अधिनियम, 1988
(1988 का अधिनियम संख्याक 58)

(8 अक्तूबर, 1988)

दिल्ली संघ राज्यक्षेत्र में एक अध्यापन विश्वविद्यालय स्थापित तथा निगमित करने और उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने के लिए अधिनियम

यह समीचीन है कि नई दिल्ली में एक अध्यापन विश्वविद्यालय स्थापित और निगमित किया जाए, सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1860 (1860 का 21) के अधीन रजिस्ट्रीकृत "जामिया मिल्लिया इस्लामिया सोसाइटी, दिल्ली' नामक सोसाइटी को विघटित किया जाए और उक्त सोसाइटी की सभी संपत्तियों और अधिकारों को उक्त विश्वविद्यालय को अंतरित और उसमें निहित किया जाए;

भारत गणराज्य के उनतालीसवें वर्ष में संसद द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ-** (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम जामिया मिल्लिया इस्लामिया 1988 है।

   (2) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा जो केंद्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियत करें।

2. **परिभाषाएं** - इस अधिनियम में, और उसके अधीन बनाए गए सभी परिनियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,

   (क) "शैक्षणिक कर्मचारीवृंद" से ऐसे प्रवर्गों के कर्मचारीवृंद अभिप्रेत हैं जो अध्यादेशों द्वारा शैक्षणिक कर्मचारीवृंद अभिहित किए जाते हैं;

   (ख) "अमीर-ए-जामिया (कुलाधिपति)" और "शेख़-उल-जामिया (कुलपति)" से क्रमशः विश्वविद्यालय के अमीर-ए-जामिया (कुलाधिपति) और शेख़-उल-जामिया (कुलपति) अभिप्रेत हैं;

   (ग) "अंजुमन (सभा)" से विश्वविद्यालय की अंजुमन (सभा) अभिप्रेत है;

   (घ) "अध्ययन बोर्ड" से विश्वविद्यालय का अध्ययन बोर्ड अभिप्रेत है;

   (ड.) "विभाग" से अध्ययन विभाग अभिप्रेत है, और इसके अंतर्गत अध्ययन और अनुसंधान केंद्र भी हैं;

   (च) "कर्मचारी" से विश्वविद्यालय द्वारा नियुक्त कोई व्यक्ति अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत विश्वविद्यालय के अध्यापक और अन्य कर्मचारीवृंद भी हैं;

   (छ) "संकाय" से विश्वविद्यालय का संकाय अभिप्रेत है;

   (ज) "छात्र निवास" से विश्वविद्यालय के छात्रों के लिए निवास की या सामुदायिक जीवन की कोई इकाई अभिप्रेत है;

   (झ) "संस्था" से विश्वविद्यालय द्वारा स्थापित या चलाई जाने वाली शैक्षिक संस्था अभिप्रेत है।

   (ञ) "मजलिस-ए-मुंतजेमा (कार्य परिषद्)" से विश्वविद्यालय की मजलिस-ए-मुंतजेमा (कार्य परिषद्) अभिप्रेत है।

   (ट) "मजलिस-ए-तालीमी (विद्या परिषद)" से विश्वविद्यालय की मजलिस-ए-तालीमी (विद्या परिषद) अभिप्रेत है;

   (ठ) "प्राचार्य" से किसी संस्था, विद्यालय या पॉलिटेक्निक का प्रधान अभिप्रेत है; और जहाँ प्राचार्य नहीं है वहाँ उसके अंतर्गत प्राचार्य के रूप में कार्य करने के लिए तत्समय रूप से नियुक्त व्यक्ति और प्राचार्य या कार्यकारी प्राचार्य के न होने पर उसे रूप में सम्यक रूप से नियुक्त उप-प्राचार्य है;

   (ड) "परिनियम", "अध्यादेश" और "विनियम" से तत्समय प्रवृत विश्वविद्यालय के क्रमशः परिनियम, अध्यादेश और विनियम अभिप्रेत हैं;

(ढ) "विश्वविद्यालय के अध्यापक" से आचार्य, उपाचार्य, प्राध्यापक और ऐसे अन्य व्यक्ति अभिप्रेत हैं; जो विश्वविद्यालय में शिक्षा देने या अनुसंधान का संचालन करने के लिए नियुक्त किए जाएं और अध्यादेशों द्वारा अध्यापक के रूप में अभिहित किए जाएं।

(ण) "विश्वविद्यालय" से "जामिया मिल्लिया इस्लामिया" के नाम से ज्ञात शैक्षिक संस्था अभिप्रेत है, जो गांधी जी के आह्वान पर वर्ष 1920 में खिलाफत और असहयोग आंदोलन के दौरान सरकार द्वारा प्रायोजित सभी शैक्षिक संस्थानों के बहिष्कार के लिए स्थापित की गई थी और तत्पश्चात वर्ष 1939 में जामिया मिल्लिया इस्लामिया सोसाइटी के रूप में रजिस्ट्रीकृत हुई थी और जिसे वर्ष 1962 में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 (1956 का 3) की धारा 3 के अधीन विश्वविद्यालय के रूप में समझी जाने वाली संस्था घोषित किया गया था और इस अधिनियम के अधीन विश्वविद्यालय के रूप में निगमित है।

3. **विश्वविद्यालय –** (1) जामिया मिल्लिया इस्लामिया के नाम से एक विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी।

(2) इस विश्वविद्यालय का मुख्यालय नई दिल्ली में होगा।

(3) तत्समय अमीर-ए-जामिया (कुलाधिपति) और शेख़-उल-जामिया (कुलपति) का पद धारण करने वाले व्यक्ति और विश्वविद्यालय की अंजुमन (सभा) मजलिस-ए-मुंतजेमा (कार्यकारी परिषद) और मजलिस-ए-तालीम (विद्या परिषद) के सदस्य जामिया मिल्लिया इस्लामिया के नाम से ज्ञात एक निगमित निकाय होंगे तथा उस निकाय का शाश्वत उत्तराधिकार और सामान्य मुद्रा होगी और वह उसे नाम से वाद लाएगा और उसके विरुद्ध वाद लाया जाएगा।

4 जामिया मिल्लिया इस्लामिया सोसाइटी का विघटन और सभी संपत्तियों का विश्वविद्यालय को अंतरण इस अधिनियम के प्रारंभ से ही;

(i) जामिया मिल्लिया इस्लामिया सोसाइटी दिल्ली विघटित हो जाएगी, तथा उक्त सोसाइटी की सभी स्थावर या जंगम संपत्ति और सभी अधिकार, शक्तियां और विशेषाधिकार विश्वविद्यालय को अंतरित और उसमें निहित हो जाएंगे और उनका उपयोग उन्हीं उद्देश्यों और प्रयोजनाओं के लिए किया जाएगा जिनके लिए विश्वविद्यालय स्थापित किया गया है;

(ii) उक्त सोसाइटी के सभी ऋण, दायित्व और बाध्यताएं विश्वविद्यालय को अंतरित हो जाएंगी और तत्पश्चात उसके द्वारा उनका उन्मोचन किया जाएगा और वे चुकाए जाएंगे।

(iii) किसी अधिनियमिती में उक्त सोसाइटी के प्रति सभी निर्देशों का अर्थ यह लगाया जाएगा कि वह विश्वविद्यालय के प्रति निर्देश हैं।

(iv) इस अधिनियम के प्रारंभ के पूर्व या पश्चात किए गए या निष्पादित किसी विल, विलेख या अन्य दस्तावेज का, जिसमें उक्त सोसाइटी के पक्ष में कोई वसीयत, दान या न्यास है, इस प्रकार अर्थ लगाया जाएगा मानो उसमें समिति के नाम के स्थान पर विश्वविद्यालय का नाम हो;

(v) मजलिस-ए-मुंतजेमा (कार्य परिषद) के किन्हीं ऐसे आदेशों के अधीन रहते हुए, जो वह करें, जामिया मिल्लिया इस्लामिया, दिल्ली के स्वामित्व के भवन, उन्हीं नामों और अभिनामों से ज्ञात और अभिहित रहेंगे जिसे वे इस अधिनियम के प्रारंभ के ठीक पूर्व ज्ञात और अभिहित थे;

(vi) इस अधिनियम के अपबंधों के अधीन रहते हुए, इस अधिनियम के प्रारंभ के ठीक पूर्व जामिया मिल्लिया इस्लामिया, दिल्ली में नियोजित प्रत्येक व्यक्ति, इस धृति तथा मुनि निबंधनों और शर्तों पर, और पेंशन तथा उपदान के बारे में, उन्हीं अधिकारों और विशेषाधिकारों सहित, विश्वविद्यालय में ऐसे नियोजित रहेगा जैसे वह, इस अधिनियम के पारित न किए जाने पर, जामिया मिल्लिया इस्लामिया, दिल्ली के अधीन नियोजित रहता।

5. **विश्वविद्यालय के उद्देश्य–** विश्वविद्यालय के उद्देश्य विद्या की ऐसी शाखाओं में, जो वह ठीक समझें, शिक्षा, अनुसंधान और विस्तार की सुविधाएं प्रदान करने का प्रसार और प्रगति करना होगा और विश्वविद्यालय निम्नलिखित के संवर्धन के लिए छात्रों और अध्यापकों को आवश्यक वातावरण और सुविधाएं प्रदान करने का प्रयास करेगा–

(i) पाठ्यक्रमों के पुनर्गठन, पठन-पाठन की नई पद्धतियों और व्यक्तित्व के संपूर्ण विकास के लिए शिक्षा में नवीनताएँ;

(ii) विभिन्न विद्या शाखाओं में अध्ययन;

(iii) अंतरविषयक अध्ययन;

(iv) राष्ट्रीय एकीकरण, पंथ निरपेक्षता और अंतरराष्ट्रीय सद्भावना।

6. **विश्वविद्यालय की शक्तियाँ–** विश्वविद्यालय की निम्नलिखित शक्तियाँ होंगी, अर्थात:–

(i) विद्या को ऐसी शाखाओं में, जो विश्वविद्यालय समय-समय पर अवधारित करे, शिक्षण की व्यवस्था करना तथा अनुसंधान के लिए और ज्ञान की अभिवृद्धि और प्रसार के लिए व्यवस्था करना;

(ii) भारतीय धर्मों, दर्शन और संस्कृति के अध्ययन का संवर्धन करना;

(iii) ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए, जो विश्वविद्यालय अवधारित करे, परीक्षाओं, मूल्यांकन या परीक्षण की किसी अन्य प्रणाली के आधार पर व्यक्तियों को डिप्लोमा या प्रमाणपत्र देना और उन्हें उपाधियाँ या अन्य विद्या संबंधी विशिष्ट उपाधियां प्रदान करना और उचित और पर्याप्त कारण होने पर ऐसे डिप्लोमाओं, प्रमाणपत्रों, उपाधियों या अन्य विद्या संबंधी विशिष्ट उपाधियों को वापस लेना;

(iv) निवेश-बाह्य अध्ययन विस्तार सेवाएँ आयोजित करना और अपने हाथ में लेना तथा प्रौढ़ शिक्षा के संवर्धन के लिए अन्य अध्युपाय करना;

(v) परिनियमों द्वारा चिन्हित रीति से सम्मानिक उपाधियों या अन्य विशिष्ट उपाधियाँ प्रदान करना;

(vi) ऐसे व्यक्तियों के लिए, जो विश्वविद्यालय के सदस्य नहीं हैं, शिक्षण की, जिसके अंतर्गत पत्राचार और ऐसे ही अन्य पाठ्यक्रम हैं, ऐसी व्यवस्था करना जो विश्वविद्यालय अवधारित करे;

(vii) विश्वविद्यालय द्वारा अपेक्षित प्राचार्य, आचार्य, उपाचार्य, प्राध्यापक और अन्य अध्यापन या शैक्षणिक पद संस्थित करना और ऐसे प्राचार्य, आचार्य, उपाचार्य, प्राध्यापक के पदों पर अन्य पदों पर व्यक्तियों को नियुक्त करना;

(viii) प्रशासनिक, अनुसचिवीय और अन्य पदों का सृजन करना और उन पर नियुक्तियाँ करना;

(ix) किसी अन्य विश्वविद्यालय या संगठन में कार्य कर रहे व्यक्तियों को किसी विनिर्दिष्ट अवधि के लिए विश्वविद्यालय का अध्यापकों के रूप में नियुक्त करना;

(x) किसी अन्य विश्वविद्यालय या प्राधिकरण या संस्था के साथ ऐसी रीति से और ऐसे प्रयोजनों के लिए जो विश्वविद्यालय अवधारित करे, समन्वय करना, सहयोग करना या सहयुक्त होना;

(xi) अनुसंधान और शिक्षण के लिए विद्यालय, संस्थाएं और ऐसे केंद्र, विशेषित प्रयोगशालाएँ या ऐसी अन्य इकाइयां स्थापित करना और बनाए रखना, जो विश्वविद्यालय की राय में उसके उद्देश्यों को अग्रसर करने के लिए आवश्यक हों;

(xii) अध्येतावृति, छात्रवृति, अध्ययनवृति, पदक और पुरस्कार संस्थित करना और प्रदान करना;

(xiii) विश्वविद्यालय के छात्रों के लिए निवास स्थापित करना और चलाना;

(xiv) अनुसंधान और सलाहकार सेवाओं के लिए व्यवस्था करना और उस प्रयोजन के लिए अन्य संस्थाओं या निकायों से ऐसे ठहराव करना जो विश्वविद्यालय आवश्यक समझे;

(xv) किसी केंद्र, संस्था, विभाग या विद्यालय को, परिनियमों के अनुसार, यथास्थिति, स्वशासी केंद्र, संस्था, विभाग या विद्यालय घोषित करना;

(xvi) विश्वविद्यालय में प्रवेश के लिए मानक अवधारित करना, जिनके अंतर्गत परीक्षा, मूल्यांकन या परीक्षण की कोई अन्य रीति है;

(xvii) फ़ीसों और अन्य प्रभारों की मांग करना और उन्हें प्राप्त करना;

(xviii) विश्वविद्यालय के छात्रों के निवास-स्थानों का पर्यवेक्षण करना और उनके स्वास्थ्य और सामान्य कल्याण की अभिवृद्धि के लिए प्रबंध करना;

(xix) छात्राओं के संबंध में ऐसे विशेष प्रबंध करना जो विश्वविद्यालय वांछनीय समझे;

(xx) विश्वविद्यालय के कर्मचारियों और छात्रों में अनुशासन का विनियमन करना और उसे प्रवर्तित कराना तथा इस संबंध में ऐसे अनुशासनात्मक उपाय करना जो विश्वविद्यालय द्वारा आवश्यक समझे जाएँ;

(xxi) विश्वविद्यालय के कर्मचारियों के स्वास्थ्य और सामान्य कल्याण की अभिवृद्धि के लिए प्रबंध करना;

(xxii) विश्वविद्यालय के प्रयोजनों के लिए संदान प्राप्त करना और किसी स्थावर या जंगम संपत्ति को, जिसके अंतर्गत न्यास और विन्यास संपत्ति हैं, अर्जित करना, धारण करना, उसका प्रबंध और व्ययन करना;

(xxiii) केंद्रीय सरकार के अनुमोदन से, विश्वविद्यालय की संपत्ति की प्रतिभूति पर विश्वविद्यालय के प्रयोजनों के लिए धन उधार लेना;

(xxiv) ऐसे अन्य सभी कार्य और बातें करना जो विश्वविद्यालय के सभी या किन्हीं उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए आवश्यक, आनुषंगिक या सहायक हों।

7. **विश्वविद्यालय का सभी वर्गों, जातियों और पंथों के लिए खुला होना**– विश्वविद्यालय सभी स्त्रियों और पुरुषों के लिए खुला होगा चाहे वे किसी भी मूलवंश, पंथ, जाति या वर्ग के हों और विश्वविद्यालय के लिए उसमें किसी व्यक्ति को अध्यापक या छात्र के रुप में प्रवेश पाने या उसमें कोई पद धारण करने या उसमें स्नातक उपाधि प्राप्त करने का हकदार बनाने के लिए किसी धार्मिक विश्वास या मान्यता का मानदंड अंगीकार या उस पर अधिरोपित करना विधिपूर्ण नहीं होगाः

परंतु इस धारा की किसी बात से यह नहीं समझा जाएगा कि वह विश्वविद्यालय को अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, विकलांगों तथा महिलाओं के लिए आरक्षण करने के लिए उपयुक्त उपबंध करने से निवारित करती है।

8. **कुलाध्यक्ष**– (1) भारत का राष्ट्रपति विश्वविद्यालय का कुलाध्यक्ष होगा।

(2) कुलाध्यक्ष को यह अधिकार होगा कि वह ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा, जिन्हें वह निदेश दे, विश्वविद्यालय, उसके भवनों, प्रयोगशालाओं और उपस्कर का और विश्वविद्यालय द्वारा चलाए जाने वाले किसी केंद्र, विभाग, संस्था या विद्यालय का और विश्वविद्यालय द्वारा संचालित या की गई परीक्षाओं, शिक्षण और अन्य कार्य का भी निरीक्षण कराएं और विश्वविद्यालय, केंद्र, विभाग, संस्था या विद्यालय के प्रशासन या वित्त से संबंधित किसी मामले की बाबत उसी रीति से जांच कराए।

(3) कुलाध्यक्ष, प्रत्येक मामले में, निरीक्षण या जांच कराए जाने के अपने आशय की सूचना विश्वविद्यालय को देगा अैर ऐसी सूचना की प्राप्ति पर, विश्वविद्यालय को, सूचना की प्राप्ति की तारीख से तीस दिन के या ऐसी अन्य अवधि के भीतर, जो कुलाध्यक्ष अवधारित करें; कुलाध्यक्ष से ऐसे अद्यावेदन करने का अधिकार होगा जो वह आवश्यक समझे।

(4) विश्वविद्यालय द्वारा किए गए अध्यादेशों पर, यदि कोई हो, विचार करने के पश्चात्, कुलाध्यक्ष ऐसा निरीक्षण या ऐसी जांच करा सकेगा जो उप धारा (2) में निर्दिष्ट है।

(5) जहाँ कुलाध्यक्ष द्वारा कोई निरीक्षण या जांच कराई जाती है, वहाँ विश्वविद्यालय एक प्रतिनिधि नियुक्त करने का हक़दार होगा जिसे ऐसे निरीक्षण या जांच में उपस्थित होने और सुने जाने का अधिकार होगा।

(6) यदि निरीक्षण या जांच, विश्वविद्यालय या उसके द्वारा चलाए जाने वाले किसी केंद्र, विभाग, संस्था या विद्यालय के संबंध में की जाती है, तो कुलाध्यक्ष ऐसे निरीक्षण या जांच के परिणाम के संदर्भ में शेख़-उल-जामिया (कुलपति) को संबोधित कर सकेगा, और शेख़-उल-जामिया (कुलपति) मजलिस-ए-मुंतजेमा (कार्य परिषद्) को कुलाध्यक्ष के विचार ऐसी सलाह के साथ संसूचित करेगा जो कुलाध्यक्ष उस पर की जाने वाली कार्रवाई के संबंध में दे।

(7) जहाँ मजलिस-ए-मुंतजेमा (कार्य परिषद्) उचित समय के भीतर कुलाध्यक्ष के समाधानप्रद रुप में कोई कार्रवाई नहीं करती है, वहाँ कुलाध्यक्ष, मजलिस-ए-मुंतजेमा (कार्य परिषद्) द्वारा दिए गए स्पष्टीकरण या किए गए अभ्यावेदन पर विचार करने के पश्चात् ऐसे निदेश जारी कर सकेगा, जो वह ठीक समझे और मजलिस-ए-मुंतजेमा (कार्य परिषद्) ऐसे निदेशों का अनुपालन करेगी।

(8) इस धारा के पूर्वगामी उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, कुलाध्यक्ष, विश्वविद्यालय की किसी ऐसी कार्रवाई की, जो इस अधिनियम, परिनियमों या अध्यादेशों के अनुरुप न हो, लिखित रूप में आदेश द्वारा पारित कर सकेगा।

परंतु ऐसा आदेश करने के पहले वह विश्वविद्यालय को इस बात का कारण बताने के लिए कहेगा कि ऐसा आदेश क्यों न किया जाए और यदि कोई कारण उचित समय के भीतर बताया जाता है, तो वह उस पर विचार करेगा।

(9) कुलाध्यक्ष को ऐसी अन्य शक्तियाँ होंगी जो परिनियमों द्वारा चिन्हित की जाएं।

9. **विश्वविद्यालय के अधिकारी-** विश्वविद्यालय के निम्नलिखित अधिकारी होंगे-

(i) अमीर-ए-जामिया (कुलाधिपति);

(ii) शेख़-उल-जामिया (कुलपति);

(iii) नायब शेख़-उल-जामिया (प्रतिकुलपति);

(iv) मुसज्जिल (कुलसचिव);

(v) संकायाध्यक्ष ;

(vi) छात्र कल्याण संकायाध्यक्ष;

(vii) वित्त अधिकारी; और

(viii) ऐसे अन्य अधिकारी जो परिनियमों द्वारा विश्वविद्यालय के अधिकारी घोषित किए जाएं।

10. **अमीर-ए-जामिया (कुलाधिपति)-** (1) अमीर-ए-जामिया (कुलाधिपति) का निर्वाचन-अंजुमन (सभा) द्वारा ऐसी रीति से किया जाएगा जो परिनियमों द्वारा चिन्हित की जाए।

(2) अमीर-ए-जामिया (कुलाधिपति) अपने पद के आधार पर विश्वविद्यालय का प्रधान होगा।

(3) यदि अमीर-ए-जामिया (कुलाधिपति) उपस्थित हो तो वह उपाधियाँ प्रदान करने के लिए किए जाने वाले विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह को अध्यक्षता करेगा।

11 **शेख़-उल-जामिया (कुलपति)-** (1) शेख़-उल-जामिया (कुलपति) की नियुक्ति कुलाध्यक्ष द्वारा ऐसी रीति से की जाएगी जो परिनियमों द्वारा विहित की जाए।

(2) शेख़-उल-जामिया (कुलपति) विश्वविद्यालय का कार्यपालक और शैक्षणिक अधिकारी होगा और विश्वविद्यालय के कार्यकलापों पर साधारण पर्यवेक्षण तथा नियंत्रण रखेगा और विश्वविद्यालय के सभी प्राधिकरणों के विनिश्चय को कार्यान्वित करेगा।

(3) यदि शेख़-उल-जामिया (कुलपति) की राय है कि किसी मामले में तुरंत कार्रवाई आवश्यक है तो वह किसी ऐसी शक्ति का प्रयोग कर सकेगा जो विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकरण को इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन प्रदत्त है और अपने द्वारा उस मामले में की गई कार्रवाई की रिपोर्ट उस प्राधिकरण को देगाः

परंतु यदि संबंधित प्राधिकरण की यह राय है कि ऐसी कार्रवाई नहीं की जानी चाहिए थी तो वह यह मामला कुलाध्यक्ष को निर्देशित कर सकेगा जिसका उस पर विनिश्चय अंतिम होगाः

परंतु यह और कि विश्वविद्यालय की सेवा में के किसी ऐसे व्यक्ति को, जो शेख़-उल-जामिया (कुलपति) द्वारा इस उपधारा के अधीन की गई कार्रवाई से व्यथित है, यह अधिकार होगा कि वह उस तारीख से जिसको ऐसी कार्रवाई का विनिश्चय उसे संसूचित किया जाता है तीन मास के भीतर, उस कार्रवाई के विरुद्ध मजलिस-ए-मुंतजेमा (कार्य परिषद्) को अपील करे और तब मजलिस-ए-मुंतजेमा (कार्य परिषद्) शेख़-उल-जामिया (कुलपति) द्वारा की गई कार्रवाई की पुष्टं, उपांतरित कर सकेगी या उसे उलट सकेगी।

(4) शेख़-उल-जामिया (कुलपति) ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग और ऐसे अन्य कृत्यों का पालन करेगा जो परिनियमों या अध्यादेशों द्वारा विहित किए जाएं।

12. नायब शेख़-उल-जामिया (प्रतिकुलपति)- नायब शेख़-उल-जामिया (प्रतिकुलपति) की नियुक्ति ऐसी रीति से की जाएगी और वह ऐसी शक्तियों का प्रयोग तथा ऐसे कर्तव्यों का पालन करेगा जो परिनियमों द्वारा विहित किए जाएं।

13. मुसज्जिल (कुलसचिव)- (1) मुसज्जिल (कुलसचिव) की नियुक्ति ऐसी रीति से की जाएगी जो परिनियमों द्वारा विहित की जाए।

(2) मुसज्जिल (कुलसचिव) को विश्वविद्यालय की ओर से करार करने, दस्तावेज़ों पर हस्ताक्षर करने और अभिलेखों को अधिप्रमाणित करने की शक्ति होगी और वह अन्य शक्तियों का प्रयोग तथा अन्य ऐसे कर्तव्यों का पालन करेगा जो परिनियमों द्वारा विहित किए जाएं

14 संकायाध्यक्ष- प्रत्येक संकायाध्यक्ष की नियुक्ति ऐसी रीति से की जाएगी और वह ऐसी शक्तियों का प्रयोग तथा ऐसे कर्तव्यों का पालन करेगा जो परिनियमों द्वारा विहित किए जाएं।

15 वित्त अधिकारी- वित्त अधिकारी की नियुक्ति ऐसी रीति से की जाएगी और वह ऐसी शक्तियों का प्रयोग तथा ऐसे कर्तव्यों का पालन करेगा जो परिनियमों द्वारा विहित किए जाएं।

16. अन्य अधिकारी- विश्वविद्यालय के अन्य अधिकारियों की नियुक्ति की रीति तथा उनकी शक्तियाँ और कर्तव्य परिनियमों द्वारा निहित किए जाएंगे।

17. विश्वविद्यालय के प्राधिकरण- विश्वविद्यालय के निम्नलिखित प्राधिकरण होंगे-

(i) अंजुमन (सभा)

(ii) मजलिस-ए-मुंतजेमा (कार्य परिषद्)

(iii) मजलिस-ए-तालीमी (विद्या परिषद्)

(iv) मजलिस-ए-मालियात (वित्त परिषद्)

(v) संकाय

(vi) योजना बोर्ड और

(vii) अन्य ऐसे प्राधिकरण जो परिनियमों द्वारा विश्वविद्यालय के प्राधिकरण घोषित किए जाएं।

18 अंजुमन (सभा) - (1) अंजुमन (सभा) का गठन तथा उसके सदस्यों की पदावधि परिनियमों द्वारा विहित की जाएगी।

(2) इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन रहते हुए, अंजुमन (सभा) की निम्नलिखित शक्तियां और कृत्य होंगे, अर्थात-

(क) विश्वविद्यालय की सामान्य नीतियों और कार्यक्रमों की समय-समय पर समीक्षा करना तथा विश्वविद्यालय के सुधार और विकास के उपायों के सुझाव देना

(ख) विश्वविद्यालय की वार्षिक रिपोर्ट और वार्षिक लेखाओं पर तथा ऐसे लेखाओं की लेखापरीक्षा रिपोर्ट पर विचार करना और संकल्प पारित करना

(ग) कुलाध्यक्ष को किसी ऐसे मामले में सलाह देना जो उसे सलाह के लिए निर्देशित किया जाए और

(घ) अन्य ऐसे कृत्यों का पालन करना जो इसे अधिनियम या परिनियमों द्वारा विहित किए जाएं।

19 मजलिस-ए-मुंतजेमा (कार्य परिषद्) - (1) मजलिस-ए-मुंतजेमा (कार्य परिषद्) विश्वविद्यालय का प्रधान कार्यपालक निकाय होगी।

(2) मजलिस-ए-मुंतजेमा (कार्य परिषद्) का गठन, उसके सदस्यों की पदावधि और उसकी शक्तियां और उसके कर्तव्य परिनियमों द्वारा विहित किए जाएंगे।

20 मजलिस-ए-तालीमी (विद्या परिषद्) -(1) मजलिस-ए-तालीमी (विद्या परिषद्) विश्वविद्यालय का प्रधान शैक्षणिक निकाय होगी और इस अधिनियम, परिनियमों और अध्यादेशों के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, विश्वविद्यालय की शैक्षणिक नीतियों का समन्वय करेगी और उन पर साधारण पर्यवेक्षण रखेगी।

(2) मजलिस-ए-तालीमी (विद्या परिषद्) का गठन, उसके सदस्यों की पदावधि और उसकी शक्तियाँ और उसके कर्तव्य परिनियमों द्वारा विहित किए जाएंगे।

21 योजना बोर्ड - (1) योजना बोर्ड, विश्वविद्यालय का मुख्य योजना निकाय होगा।

(2) योजना बोर्ड का गठन, उसके सदस्यों को पदावधि तथा उसकी शक्तियाँ और उसके कर्तव्य परिनियमों द्वारा विहित किए जाएंगे।

22. विश्वविद्यालय के अन्य प्राधिकरण- संकायों और ऐसे अन्य प्राधिकरणों का, जो परिनियमों द्वारा विश्वविद्यालय के प्राधिकरण घोषित किए जाएं गठन, शक्तियाँ और कृत्य परिनियमों द्वारा विहित किए जाएंगे।

23. परिनियम बनाने की शक्ति- इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन रहते हुए, परिनियमों में निम्नलिखित सभी या किन्हीं विषयों के लिए उपबंध किए जा सकेंगे, अर्थात्ः-

(क) विश्वविद्यालय के प्राधिकरणों और अन्य निकायों का, जो समय-समय पर गठित किए जाएं, शक्तियाँ और कृत्य;

(ख) उक्त प्राधिकरणों के सदस्यों का निर्वाचन और पदों पर बने रहना, सदस्यों की रिक्तियों का भरा जाना तथा उन प्राधिकरणों से संबंधित अन्य वे सब विषय, जिनके लिए उपबंध करना आवश्यक या वांछनीय हो;

(ग) विश्वविद्यालय के अधिकारियों की नियुक्ति, शक्तियाँ तथा कर्तव्य और उपलब्धियाँ;

(घ) विश्वविद्यालय के अध्यापकों और अन्य शैक्षणिक कर्मचारिवृन्द की नियुक्ति और उनकी उपलब्धियाँ;

(ङ) किसी संयुक्त परियोजना को कार्यान्वित करने के लिए, किसी अन्य विश्वविद्यालय या संस्था में काम करने वाले अध्यापकों और अन्य शैक्षणिक कर्मचारिवृंद की किसी विनिर्दिष्ट अवधि के लिए नियुक्ति;

(च) कर्मचारियों की सेवा की शर्तें, जिनके अतर्गत पेंशन, बीमा और भविष्य निधि का उपबंध है, सेवा की समाप्ति और अनुशासनिक कार्रवाई की रीति;

(छ) कर्मचारियों की सेवा में ज्येष्ठता को शासित करने वाले सिद्धांत;

(ज) कर्मचारियों या छात्रों और विश्वविद्यालय के बीच विवाद के मामलों में मध्यस्थता की प्रक्रिया;

(झ) विश्वविद्यालय के किसी अधिकारी या प्राधिकरण की कार्रवाई के विरुद्ध किसी कर्मचारी या छात्र द्वारा मजलिस-ए-मुंतजेमा (कार्य परिषद्) की अपील की प्रक्रिया;

(ञ) छात्र संघ की अथवा अध्यापकों, शैक्षणिक कर्मचारिवृंद या अन्य कर्मचारियों के संगम की स्थापना और उन्हें मान्यता प्रदान करना;

(ट) विश्वविद्यालय के कार्यकलापों में छात्रों का भाग लेना;

(ठ) सम्मानिक उपाधियों का प्रदान किया जाना;

(ड) उपाधियाँ, डिप्लोमा, प्रमाणपत्र और अन्य विद्या संबंधी विशेष उपाधियों का वापस लिया जाना;

(ढ) अध्येतावृत्ति, छात्रवृत्ति, अध्ययनवृत्ति, पदक और पुरस्कारों का संस्थित किया जाना;

(ण) छात्रों में अनुशासन बनाए रखना;

(त) संकायों, विभागों, केंद्रों और विद्यालयों की स्थापना और समाप्ति;

(थ) विश्वविद्यालय के प्राधिकरणों या अधिकारियों में निहित शक्तियों का प्रत्यायोजन; और

(द) ऐसे सभी अन्य विषय जो इस अधिनियम द्वारा या परिनियमों द्वारा विहित किए जाने हैं या किए जाएं।

24. परिनियम कैसे बनाए जाएंगे- (1) प्रथम परिनियम वे हैं जो अनुसूची में दिए गए हैं।

(2) मजलिस-ए-मुंतजेमा (कार्य परिषद्) समय-समय पर नए या उपधारा (1) में निर्दिष्ट अतिरिक्त परिनियम बना सकेगी।

परंतु मजलिस-ए-मुंतजेमा (कार्य परिषद्) विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकरण की प्रास्थिति, शक्तियों या गठन पर प्रभाव डालने वाले कोई परिनियम तब तक न बनाएगी, न उनमें संशोधन करेगी या न उसको निरस्त करेगी जब तक उस प्राधिकरण को प्रास्थपित परिवर्तनों पर लिखित रूप में अपनी राय अभिव्यक्त करने का अवसर न दे दिया गया हो, और इस प्रकार अभिव्यक्त राय पर मजलिस-ए-मुंतजेमा (कार्य परिषद्) विचार करेगी।

(3) प्रत्येक नए परिनियम या परिनियमों में परिवर्धन या कोई संशोधन या परिनियम के निरसन के लिए कुलाध्यक्ष की अनुमति की अपेक्षा होगी जो उस पर अनुमति दे सकेगा या अनुमति विधारित कर सकेगा या उसे मजलिस-ए-मुंतजेमा (कार्य परिषद्) के विचारार्थ वापस भेज सकेगा।

(4) कोई नया परिनियम या विद्यमान परिनियम का संशोधन या निरसन करने वाला परिनियम तब तक विधि मान्य नहीं होगा जब तक उस पर कुलाध्यक्ष ने अनुमति न दे दी हो।

(5) पूर्वगामी उपधाराओं में किसी बात के होते हुए भी, कुलाध्यक्ष, इस अधिनियम के प्रारंभ के ठीक बाद के तीन वर्ष की अवधि के दौरान नए या अतिरिक्त परिनियम बना सकेगा या उपधारा (1) में निर्दिष्ट परिनियमों को संशोधित या निरसित कर सकेगा।

(6) पूर्वगामी उपधाराओं में किसी बात के होते हुए भी, कुलाध्यक्ष अपने विनिर्दिष्ट किसी विषय के बारे में परिनियमों में उपबंध करने के लिए विश्वविद्यालय को निदेश दे सकेगा और यदि मजलिस-ए-मुंतजेमा (कार्य परिषद्) ऐसे निदेश को उसकी प्राप्ति के साठ दिन के भीतर कार्यान्वित करने में असमर्थ है तो कुलाध्यक्ष उन कारणों पर, यदि कोई है, विचार करने के पश्चात् जो ऐसे निदेश के अनुपालन करने में अपनी असमर्थता के लिए मजलिस-ए-मुंतजेमा (कार्य परिषद्) द्वारा संसूचित किए जाएं, यथोचित रूप में परिनियम बना सकेगा या उनमें संशोधन कर सकेगा।

25 अध्यादेश बनाने की शक्ति- (1) इस अधिनियम और परिनियमों के उपबंधों के अधीन रहते हुए, अध्यादेश में निम्नलिखित सभी या किन्हीं विषयों के लिए उपबंध किए जा सकेंगे, अर्थात्:-

(क) विश्वविद्यालय के छात्रों का प्रवेश और उस रुप में उनका नामांकन;

(ख) विश्वविद्यालय की सभी उपाधियां, डिप्लोमाओं और प्रमाण-पत्रों के लिए अधिकथित किए जाने वाले पाठ्यक्रम;

(ग) शिक्षा और परीक्षा का माध्यम;

(घ) उपाधियों, डिप्लोमाओं, प्रमाण-पत्रों और अन्य विद्या संबंधी विशेष उपाधियों का प्रदान किया जाना, उनके लिए अर्हताएं और उन्हें प्रदान करने और प्राप्त करने के बारे में किए जाने वाले उपाय;

(ङ) विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रमों के लिए और विश्वविद्यालय की परीक्षाओं, उपाधियों, डिप्लोमाओं और प्रमाणपत्रों के लिए ली जाने वाली फीस;

(च) अध्येतावृत्तियाँ, छात्रवृत्तियाँ, अध्ययनवृत्तियाँ, पदक और पुरस्कार प्रदान किए जाने की शर्तें;

(छ) परीक्षाओं का संचालन, जिसके अंतर्गत परीक्षा निकायों, परीक्षकों और अनुसीमकों की पदावधि और नियुक्ति की रीति और उनके कर्तव्य है;

(ज) विश्वविद्यालय के छात्रों के निवास की शर्तें;

(झ) छात्राओं के निवास, अनुशासन और शिक्षण के लिए किये जाने वाले विशेष प्रबंध, यदि कोई हो, और उनके लिए विशेष पाठ्यक्रम विहित करना

(ञ) उन कर्मचारियों के जिनके लिए परिनियमों में उपबंध किया गया है, भिन्न कर्मचारिरों की नियुक्ति और उपलब्धियाँ

(ट) अध्ययन केंद्रों, अध्ययन बोर्डों, अंतरविषयक अध्ययन केंद्रों, विशेष केंद्रों, विशेषित प्रयोगशालाओं और अन्य समितियों की स्थापना

(ठ) अन्य विश्वविद्यालयां और प्राधिकरणों, जिनके अतर्गत विद्वत निकाय या संगम भी है, के साथ समन्वय और सहयोग करने की रीति

(ड) किसी अन्य ऐसे निकाय का, जो विश्वविद्यालय के शैक्षणिक जीवन में सुधार करने के लिए आवश्यक समझा जाए, सृजन, उसकी संरचना और उसके कृत्य

(ढ) परीक्षकों, अनुसीमकों, अधीक्षकों और संगणकों को दिया जाने वाला पारिश्रमिक

(ण) अध्यापकों और अन्य शैक्षणिक कर्मचारिवृंद की सेवा के ऐसे अन्य निबंधन और शर्तें जो परिनियमों द्वारा विहित न हों

(त) विश्वविद्यालय द्वारा स्थापित संस्थाओं का प्रबंध और

(थ) ऐसे सभी अन्य विषय जो इस अधिनियम या परिनियमों के अनुसार अध्यादेशों द्वारा विहित किए जाएं।

(2) इस अधिनियम के प्रारम्भ से ठीक पूर्व प्रवृत्त विनियम और उपविधियां विश्वविद्यालय के प्रथम अध्यादेश होंगे और उन्हें मजलिस-ए-मुंतजेमा (कार्य परिषद्) द्वारा किसी भी समय निरसित या संशोधित किया जा सकेगा।

26. विनियम बनाने की शक्ति- विश्वविद्यालय के प्राधिकरण अपने और अपने द्वारा स्थापित की गई समितियों के कार्य के संचालन के लिए, जिसके बारे में इस अधिनियम, परिनियमों या अध्यादेशों द्वारा उपबंध नहीं किया गया है, परिनियमों द्वारा विहित रीति से ऐसे विनियम बना सकेंगे, जो इस अधिनियम, परिनियमों और अध्यादेशों से संगत है।

27 वार्षिक रिपोर्ट- (1) विश्वविद्यालय की वार्षिक रिपोर्ट, मजलिस-ए-मुंतजेमा (कार्य परिषद्) के निदेश के अधीन तैयार की जाएगी और अंजुमन (सभा) को उस तारीख को या उसके पश्चात् भेजी जाएगी जो परिनियमों द्वारा विहित की जाए और अंजुमन (सभा) अपने वार्षिक अधिवेशन में उस रिपोर्ट पर विचार करेगी।

(2) अंजुमन (सभा) अपनी टीका-टिप्पणी सहित, यदि कोई हो, वार्षिक रिपोर्ट कुलाध्यक्ष को भेजेगी।

(3) कुलाध्यक्ष को भेजी गई वार्षिक रिपोर्ट की एक प्रति, केंद्रीय सरकार को भी भेजी जाएगी जो यथाशीघ्र उसे संसद के दोनों सदनों के समक्ष रखवाएगी।

28. वार्षिक लेखे- (1) विश्वविद्यालय के वार्षिक लेखे और तुलनपत्र, मजलिस-ए-मुंतजेमा (कार्य परिषद्) के निदेश के अधीन तैयार किए जाएंगे और उनकी लेखापरीक्षा भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा या ऐसे व्यक्तियों द्वारा जो वह इस निमित्त प्राधिकृत करें, प्रत्येक वर्ष कम से कम एक बार और पंद्रह मास से अनधिक के अंतरालों पर की जाएगी।

(2) वार्षिक लेखाओं की एक प्रति और उसकी लेखा परीक्षा रिपोर्ट मजलिस-ए-मुंतजेमा (कार्य परिषद्) के संप्रेक्षणों के साथ अंजुमन (सभा) और कुलाध्यक्ष को प्रस्तुत की जाएगी।

(3) वार्षिक लेखाओं पर कुलाध्यक्ष द्वारा किए गए संप्रेक्षण अंजुमन (सभा) के ध्यान में लाए जाएंगे और अंजुमन (सभा) के संप्रेक्षण, यदि कोई हो, मजलिस-ए-मुंतजेमा (कार्य परिषद्) द्वारा विचार किए जाने के पश्चात् कुलाध्यक्ष को प्रस्तुत किए जाएंगे।

(4) कुलाध्यक्ष को प्रस्तुत की गई वार्षिक लेखाओं की प्रति और लेखा परीक्षा रिपोर्ट, केंद्रीय सरकार को भी प्रस्तुत की जाएगी जो यथाशीघ्र उसे संसद के दोनों सदनों के समक्ष रखवाएगी।

(5) संसद के दोनों सदनों के समक्ष रखे जाने के पश्चात् लेखा परीक्षित वार्षिक लेखे राजपत्र में प्रकाशित किए जाएंगे।

29. कर्मचारियों की सेवा की शर्तें- (1) विश्वविद्यालय का प्रत्येक कर्मचारी लिखित संविदा के अधीन नियुक्त किया जाएगा जो विश्वविद्यालय के पास रखी जाएगी और उसकी एक प्रति संबंधित कर्मचारी को दी जाएगी।

(2) विश्वविद्यालय और किसी कर्मचारी के बीच किसी संविदा से उद्भूत विवाद, संबंधित कर्मचारी के अनुरोध पर, माध्यस्थम् अधिकरण को निर्देशित किया जाएगा, जिसमें मजलिस-ए-मुंतजेमा (कार्य परिषद्) द्वारा

नियुक्त एक सदस्य, संबंधित कर्मचारी द्वारा नामनिर्दिष्ट एक सदस्य और कुलाध्यक्ष द्वारा नियुक्त एक अधिनिर्णायक होगा।

(3) उपधारा (2) में निर्दिष्ट माध्यस्थम् अधिकरण का विनिश्चय अंतिम होगा और अधिकरण द्वारा विनिश्चित मामलों के संबंध में कोई वाद किसी सिविल न्यायालय में नहीं होगा।

(4) उपधारा (2) के अधीन कर्मचारी द्वारा किया गया प्रत्येक अनुरोध माध्यस्थम् अधिनियम, 1940 (1940 का 10) के अर्थ में इस धारा के निबंधनों पर माध्यस्थम् के लिए निवेदन समझा जाएगा।

30. **छात्रों के विरुद्ध अनुशासनिक मामलों में अपील और माध्यस्थम् की प्रक्रिया–** (1) कोई छात्र या परीक्षार्थी, जिसका नाम विश्वविद्यालय की नामावली से, यथास्थिति, शेख़-उल-जामिया (कुलपति), अनुशासन समिति या परीक्षा समिति के आदेशों या संकल्प द्वारा हटाया गया है और जिसे विश्वविद्यालय की परीक्षाओं में बैठने से एक वर्ष से अधिक के लिए विवर्जित किया गया है, उसके द्वारा ऐसे आदेशों की या ऐसे संकल्प की प्रति की प्राप्ति की तारीख से दस दिन के भीतर मजलिस-ए-मुंतजेमा (कार्य परिषद्) को अपील कर सकेगा और मजलिस-ए-मुंतजेमा (कार्य परिषद्), यथास्थिति, शेख़-उल-जामिया (कुलपति) या संबंधित समिति के विनिश्चय को पुष्ट, उपांतरित कर सकेगी या उसे उलट सकेगी।

(2) विश्वविद्यालय द्वारा किसी छात्र के विरुद्ध की गई अनुशासनिक कार्रवाई से उद्‌भूत कोई भी विवाद, उस छात्र के अनुरोध पर, माध्यस्थम् अधिकरण को निर्देशित किया जाएग और धारा 29 की उपधारा (2), उपधारा (3) और उपधारा (4) के उपबंध, यथाशक्य, इस उपधारा के अधीन किए गए निर्देश को लागू होंगे।

31. **अपील करने का अधिकार–** इस अधिनियम में किसी बात के होते हुए भी, विश्वविद्यालय के प्रत्येक कर्मचारी या छात्र को, विश्वविद्यालय के किसी अधिकारी या प्राधिकरण के विनिश्चिय के विरुद्ध ऐसे समय के भीतर, जो परिनियमों द्वारा विहित किया जाए, मजलिस-ए-मुंतजेमा (कार्य परिषद्) को अपील करने का अधिकार होगा और तब मजलिस-ए-मुंतजेमा (कार्य परिषद्) उस विनिश्चय को जिसके विरुद्ध अपील की गई है, पुष्ट, उपांतरित कर सकेगी या उसे उलट सकेगी।

32. **भविष्य निधि और पेंशन निधि–** (1) विश्वविद्यालय अपने कर्मचारियों के फायदे के लिए ऐसी रीति से और ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए, जो परिनियमों द्वारा विहित की जाएं, ऐसी पेंशन निधि या भविष्य निधि का गठन करेगा या ऐसी बीमा स्कीमों का उपबंध करेगा, जो वह ठीक समझे।

(2) जहाँ ऐसी भविष्य निधि या पेंशन निधि का इस प्रकार गठन किया गया है वहाँ केंद्रीय सरकार यह घोषित कर सकेगी कि भविष्य निधि अधिनियम, 1925 (1925 का 19) के उपबंध ऐसी निधि को उसी प्रकार लागू होंगे मानो वह सरकारी भविष्य निधि हो।

33. **विश्वविद्यालयों के प्राधिकरणों और निकायों के गठन के बारे में विवाद–** यदि यह प्रश्न उठता है कि क्या कोई व्यक्ति विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकरण या अन्य निकाय के सदस्य के रूप में सम्यक् रूप से निर्वाचित या नियुक्त है या उसका सदस्य होने का हकदार है तो वह विषय कुलाध्यक्ष को निदेशित किया जाएगा, जिसका उस पर विनिश्चिय अंतिम होगा।

34. **समितियों का गठन–** जहाँ विश्िद्यालय के किसी प्राधिकरण को समितियाँ स्थापित करेन की शक्ति उस अधिनियम या परिनियमों द्वारा दी गई हैं, वहाँ जैसा अन्यथा उपबंधित है उसके सिवाय, ऐसी समितियां में, संबंधित प्राधिकरण के सदस्य और ऐसे अन्य व्यक्ति (यदि कोई हों), जिन्हें प्राधिकरण प्रत्येक मामले में ठीक समझे, होंगे।

35. **आकस्मिक रिक्तियों का भरा जाना–** विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकरण या अन्य निकाय के (पदेन सदस्यों से भिन्न) सदस्यों में की सभी आकस्मिक रिक्तियां यथाशीघ्र सुविधानुसार ऐसे व्यक्ति या निकाय द्वारा भरी जाएंगी जिसने उस सदस्य को, जिसका स्थान रिक्त हुआ है, नियुक्त, निर्वाचित या सहयोजित किया था और किसी आकस्मिक रिक्ति में नियुक्त, निर्वाचित या सहयोजित व्यक्ति ऐसे प्राधिकरण या निकाय का सदस्य उस अवशिष्ट अवधि के लिए होगा, जिसके दौरान वह व्यक्ति, जिसका स्थान वह भरता है, सदस्य रहता।

36. **विश्वविद्यालय के प्राधिकरणों या निकायों की कार्यवाहियों का रिक्तियों के कारण अविधिमान्य न होगा–** विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकरण या अन्य निकाय का कोई कार्य या कार्यवाही केवल इस कारण अविधिमान्य नहीं होगी कि उसके सदस्यों में कोई रिक्ति या रिक्तियाँ हैं।

37. सद्भावपूर्वक की गई कार्रवाई के लिए संरक्षण– इस अधिनियम, परिनियमों या अध्यादेशों के किन्हीं उपबंधों के अनुसरण में सद्भावपूर्वक की गई या की जाने के लिए आशयित किसी बात के लिए कोई वाद या अन्य विधिक कार्यवाही, विश्वविद्यालय के किसी अधिकारी या कर्मचारी के विरुद्ध नहीं होगी।

38. विश्वविद्यालय के अभिलेख को साबित करने का ढंग– भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 (1872 का 1) या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी, विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकरण या समिति की किसी रसीद, आवेदन, सूचना, आदेश, कार्यवाही, संकल्प या अन्य दस्तावेजों की, जो विश्वविद्यालय के कब्जे में है, या विश्वविद्यालय द्वारा सम्यक् रूप से रखे गए किसी रजिस्टर की किसी प्रविष्टि की प्रतिलिपि, मुसज्जिल (कुलसचिव) द्वारा प्रमाणित कर दी जाने पर, उस दशा में जिसमें उसकी मूल प्रति पेश की जाने पर साक्ष्य में ग्राह्य होती, उस रशीद, आवेदन, सूचना, आदेश, कार्यवाही या संकल्प, दस्तावेज़ के या रजिस्टर की प्रविष्टि के अस्तित्व के प्रथमदृष्टया साक्ष्य के रुप में ले ली जाएगी, तथा मामलों और संव्यवहार के साक्ष्य के रूप में ग्रहण की जाएगी।

39. परिनियमों, अध्यादेश और विनियमों का राजपत्र में प्रकाशित किया जाना और संसद के समक्ष रखा जाना– (1) इस अधिनियम के अधीन बनाया गया प्रत्येक परिनियम, अध्यादेश या विनियम राजपत्र में प्रकाशित किया जाएगा।

(2) इस अधिनियम के अधीन बनाया गया प्रत्येक परिनियम, अध्यादेश या विनियम, बनाए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष, ज बवह सत्र में हो, कुल तीस दिन की अवधि के लिए रखा जाएगा। यह अवधि एक सत्र में अथवा दो या अधिक आनुक्रमिक सत्रों के ठीक बाद के सत्र के अवसान के पूर्व दोनों सदन उस परिनियम, अध्यादेश या विनियम में कोई परिवर्तन करने के लिए सहमत हो जाएं, तो तत्पश्चात् वह ऐसे परिवर्तित रूप में ही प्रभावी होगा। यदि उक्त अवसान के पूर्व दोनों सदन सहमत हो जाएं कि वह परिनियम, अध्यादेा या विनियम नहीं बनाया जाना चाहिए तो तत्पश्चात् वह निष्प्रभाव हो जाएगा। किन्तु परिनियम, अध्यादेश या विनियम के ऐसे परिवर्तित या निष्प्रभाव होने से उसके अधीन पहले की गई किसी बात की वधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

40. कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति– यदि इस अधिनियम के उपबंधों को प्रभावी करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो केंद्रीय सरकार, राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा, ऐसे उपबंध कर सकेगी जो इस अधिनियम के उपबंधों से असंगत न हो और जो उस कठिनाइ्र को दूर करने के लिए उसे आवश्यक या समीचीन प्रतीत होः

परन्तु इस धारा के अधीन कोई ऐसा आदेश इस अधिनियम के प्रारंभ से तीन वर्ष की समाप्ति के पश्चात् नहीं किया जाएगा।

41. संक्रमणकालीन उपबंध– (1) इस अधिनियम के प्रारंभ के पश्चात अंजुमन (सभा), मजलिस–ए–मुंतजेमा (कार्य परिषद्), मजलिस–ए–तालीमी (विद्या परिषद्), मजलिस–ए–मालियात (वित्त समिति) तथा विश्वविद्यालय के संकाय इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार यथाशक्यशीघ्र गठित किया जाएंगे और इस प्रकार गठित जामिया मिल्लिया इस्लामिया की अंजुमन (सभा), मजलिस–ए–मुंतजेमा (कार्य परिषद्), मजलिस–ए–तालीमी (विद्या परिषद्), मजलिस–ए–मालियात (वित्त समिति) तथा संकाय, जो ऐसे प्रारंभ से ठीक पूर्व कार्य कर रहे थे, इस अधिनियम के अधीन ऐसे प्राधिकरणों की सभी शक्तियों का प्रयोग और सभी कृत्यों का पालन करते रहेंगे।

(2) जामिया मिल्लिया इस्लामिया के अमीर–ए–जामिया (कुलाधिपति), शेख़–उल–जामिया (कुलपति), मुसज्जिल (कुलसचिव), संकायाध्यक्ष, विभागाध्यक्ष, संस्थाओं के प्राचार्य, अन्य अधिकारी और कर्मचारी, जो इस अधिनियम के प्रारंभ के ठीक पूर्व पद धारण कर रहे थे, ऐसे प्रारंभ से ही, उसी अवधि के लिए और उन्हीं निबंधनों और शर्तों पर अपने–अपने पद धारण करते रहेंगे जिन्हें वे ऐसे प्रारंभ के ठीक पूर्व धारण कर रहे थे।

(3) अंजुमन (सभा), मजलिस–ए–मुंतजेमा (कार्य परिषद्), मजलिस–ए–तालीमी (विद्या परिषद्), मजलिस–ए–मालियात (वित्त समिति), संकायों तथा अन्य अधिकारियों के गठन में इस अधिनियम द्वारा किए गए किसी परिवर्तन के होते हुए भी, इस अधिनियम के प्रारंभ के पूर्व जामिया मिल्लिया इस्लामिया द्वारा की गई कोई बात या कार्रवाई या प्रदान की गई कोई उपाधि या अन्य विद्या संबंधी विशेष उपाधि, ऐसे विधिमान्य होगी मानो ऐसी बात, ऐसी कार्रवाई या ऐसी उपाधि या विद्या संबंधी विशेष उपाधि इस अधिनियम के अधीन की गई थी या प्रदान की गई थी।

अनुसूची
(धारा 24 देखिए)
विश्वविद्यालय के परिनियम

1. अमीर-ए-जामिया (कुलाधिपति) :

(1) अमीर-ए-जामिया (कुलाधिपति) अंजुमन (सभा) द्वारा साधारण बहुमत से निर्वाचित किया जाएगा।

(2) अमीर-ए-जामिया (कुलाधिपति) पांच वर्ष की अवधि तक पद धारण करेगा और वह पुनः निर्वाचन के पात्र होगा।

(3) यदि अमीर-ए-जामिया (कुलाधिपति) उपस्थित रहता है तो वह अंजुमन (सभा) के अधिवेशनों और विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह की अध्यक्षता करेगा।

2. शेख़-उल-जामिया (कुलपति)

(1) शेख़-उल-जामिया (कुलपति) की, कुलाध्यक्ष, ऐसी समिति द्वारा, जिसमें तीन व्यक्ति होंगे, दो व्यक्ति मजलिए-ए-मुंतजेमा (कार्य परिषद्) द्वारा नाम निर्दिष्ट किए जाएंगे और एक व्यक्ति, जो समिति का अध्यक्ष होगा, कुलाध्यक्ष द्वारा नाम निर्दिष्ट किया जाएगा, सिफारिश किए गए कम से कम तीन व्यक्तियों के पैनल में से नियुक्त करेगाः

परंतु उपर्युक्त समिति को कोई भी सदस्य विश्वविद्यालय से संबद्ध नहीं होगाः

परंतु यह और कि यदि कुलाध्यक्ष इस प्रकार सिफारिश किए गए व्यक्तियों में से किसी का भी अनुमोदन नहीं करता है तो वह नई सिफारिशों की मांग कर सकेगा।

(2) शेख़-उल-जामिया (कुलपति) विश्वविद्यालय का पूर्णकालिक वैतनिक अधिकारी होगा।

(3) शेख़-उल-जामिया (कुलपति) अपना पद ग्रहण करने की तारीख से पांच वर्ष की अवधि तक पद धारण करेगा और वह एक और पदावधि से अनधिक के लिए पुनः नियुक्ति का पात्र होगाः

परंतु पांच वर्ष की उक्त अवधि के समाप्त होने पर भी, वह पद पर तब तक बना रहेगा जब तक उसका पदोत्तरवर्ती नियुक्त नहीं कर दिया जाता और वह अपना पद धारण नहीं कर लेता।

(4) खंड (3) में किसी बात के होते हुए भी, यदि शेख़-उल-जामिया (कुलपति) के रूप में नियुक्त व्यक्ति अपनी पदावधि के दौरान [सत्तर][1] वर्ष की आयु पूरी कर लेता है वह पद से सेवानिवृत्त हो जाएगा।

1. अधिसूचना संख्या आर.ओ/एल/ऑर्ड./08 दिनांक 8-4-2008 द्वारा अंतःस्थापित

(5) शेख़-उल-जामिया (कुलपति) की उपलब्धियाँ तथा सेवा के अन्य निबंधन और शर्तें वे होंगी, जो अध्यादेश द्वारा विहित की जाएं।

(6) यदि शेख़-उल-जामिया (कुलपति) का पद मृत्यु, त्यागपत्र के कारण या अन्यथा रिक्त हो जाता है अथवा यदि वह अनुपस्थिति, रुग्णता या किसी अन्य कारण से अपना कर्तव्य पालन करने में असमर्थ है तो नायब शेख़-उल-जामिया (प्रतिकुलपति), शेख़-उल-जामिया (कुलपति) के कर्तव्यों का तब तक निर्वहन करेगा और उसे स्थानापन्न शेख़-उल-जामिया (कुलपति) पदाभिहित किया जाएगा जब तक, यथास्थिति, नया कुलपति पद ग्रहण न कर ले या वर्तमान शेख़-उल-जामिया (कुलपति) अपने पद के कर्तव्यों को न संभाल लें।

परन्तु यदि नायब शेख़-उल-जामिया (प्रतिकुलपति) उपलब्ध नहीं है तो ज्येष्ठतम आचार्य शेख़-उल-जामिया (कुलपति) के पद के कर्तव्यों का तब तक निर्वहन करेगा जब तक, यथास्थिति, नया शेख़-उल-जामिया (कुलपति) या शेख़-उल-जामिया (कुलपति) पद धारण नहीं कर लेता।

3. शेख़-उल-जामिया (कुलपति) की शक्तियाँ और कर्तव्यः

(1) शेख़-उल-जामिया (कुलपति), मजलिस-ए-मुंतजेमा (कार्य परिषद्); मजलिस-ए-तालीमी (विद्या परिषद्); मजलिस-ए-मालियात (वित्त समिति) और योजना बोर्ड का पदेन अध्यक्ष होगा तथा अमीर-ए-जामिया

(कुलाधिपति) की अनुपस्थिति में अंजुमन (सभा) के अधिवेशन और उपाधियाँ प्रदान करने के लिए किए गए दीक्षांत समारोह की अध्यक्षता करेगा और वह विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकरण या अन्य निकाय के किसी अधिवेशन में उपस्थित होने और उसे संबोधन करने का हकदार होगा, किन्तु वह जब तक ऐसे प्राधिकरण या निकाय का सदस्य न हो, उसमें मतदान करने का हकदार नहीं होगा।

(2) यह देखना शेख़-उल-जामिया (कुलपति) का कर्तव्य होगा कि इस अधिनियम, परिनियमों, अध्यादेशों तथा विनियमों का सम्यक रुप से पालन किया जाए और ऐसा पालन सुनिश्चित करने के लिए उसे सभी आवश्यक शक्तियाँ होंगी।

(3) शेख़-उल-जामिया (कुलपति) की अंजुमन (सभा), मजलिस-ए-मुंतजेमा (कार्य परिषद्); मजलिस-ए-तालीमी (विद्या परिषद्); मजलिस-ए-मालियात (वित्त समिति) और योजना बोर्ड के अधिवेशन बुलाने या बुलवाने की शक्ति होगी।

4. नायब शेख़-उल-जामिया (प्रतिकुलपति)

(1) नायब शेख-उल-जामिया (प्रति-कुलपति) की नियुक्ति मजलिस-ए- मुंतजेमा (कार्य परिषद) द्वारा शेख-उल-जामिया (कुलपति) की सिफारिश पर अध्यादेशों में निर्धारित शर्तों और नियमों के अधीन की जाएगी:

बशर्ते कि जहाँ शेख-उल-जामिया (कुलपति) की सिफारिश मजलिस-ए- मुंतजेमा (कार्यकारी परिषद) द्वारा स्वीकार नहीं की जाती है, वहाँ मामला विजिटर को भेजा जाएगा जो शेख-उल-जामिया (कुलपति) द्वारा अनुशंसित व्यक्ति को नियुक्त कर सकता है या शेख-उल-जामिया (कुलपति) से मजलिस-ए- मुंतजेमा (कार्य परिषद) के लिए किसी अन्य व्यक्ति की सिफारिश करने के लिए कह सकता है:

बशर्ते कि मजलिस-ए- मुंतजेमा (कार्य परिषद), शेख-उल-जामिया (कुलपति) की सिफारिश पर एक प्रोफेसर को प्रोफेसर के रूप में अपने कर्तव्यों के अलावा नायब शेख-उल-जामिया (प्रो-कुलपति) के कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए नियुक्त कर सकती है।

(2) नायब शेख़-उल-जामिया (प्रतिकुलपति) की पदावधि वह होगी जो मजलिस-ए-मुंतजेमा (कार्य परिषद्) द्वारा विनिश्चित की जाए किन्तु वह किसी भी दशा में पांच वर्ष से अधिक नहीं होगी या शेख़-उल-जामिया (कुलपति) की पदावधि की समाप्ति तक होगी, इनमें से जो भी पहले हो, और वह पुनः नियुक्ति का पात्र होगाः

परन्तु नायब शेख़-उल-जामिया (प्रतिकुलपति) पैंसठ वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने पर सेवानिवृत्त हो जाएगाः

परन्तु यह और कि जब नायब शेख़-उल-जामिया (प्रतिकुलपति) परिनियम 2 के खंड (6) के अधीन शेख़-उल-जामिया (कुलपति) के कर्तव्यों का निर्वहन कर रहा है तब वह अपनी पदावधि के समाप्त हो जाने पर भी पद पर तब तक बना रहेगा जब तक यथास्थिति, नया शेख़-उल-जामिया (कुलपति) या शेख़-उल-जामिया (कुलपति) पद नहीं संभाल लेता।

(3) नायब शेख़-उल-जामिया (प्रतिकुलपति) की उपलब्धियाँ तथा सेवा के अन्य निबंधन और शर्तें वे होंगी जो अध्यादेशों द्वारा विहित की जाएं।

(4) नायब शेख़-उल-जामिया (प्रतिकुलपति) ऐसे विषयों को बाबत, जो शेख़-उल-जामिया (कुलपति) द्वारा इस निमित्त समय-समय पर विर्निदिष्ट किए जाएं, शेख़-उल-जामिया (कुलपति) की सहायता करेगा और वह ऐसी शक्तियों का प्रयोग तथा ऐसे कर्तव्यों का पालन भी करेगा जो शेख़-उल-जामिया (कुलपति) द्वारा उसे सौंपे या प्रत्यायोजित किए जाएं।

5. मुसज्जिल (कुलसचिव)

(1) मुसज्जिल (कुलसचिव) विश्वविद्यालय का पूर्णकालिक वैतनिक अधिकारी होगा और उसकी नियुक्ति इस प्रयोजन के लिए परिनियम 25 के अधीन गठिन चयन समिति की सिफारिश पर की जाएगी।

(2) मुसज्जिल (कुलसचिव) की उपलब्धियां तथा सेवा के अन्य निबंधन और शर्तें वे होंगी जो अध्यादेशें द्वारा विहित की जाएं;

परन्तु यह कि मुसज्जिल (कुलसचिव) [बासठ][2] वर्ष की आयु प्राप्त करने पर सेवानिवृत्त हो जाएगा।

(3) जब मुसज्जिल (कुलसचिव) का पद रिक्त है या मुसज्जिल (कुलसचिव) रुग्णता, अनुपस्थिति के कारण या किसी अन्य कारण से अपने पद के कर्तव्यों का पालन करने में असमर्थ है तब उस पद के कर्तव्य का पालन उस व्यक्ति द्वारा किया जाएगा जिसे शेख़-उल-जामिया (कुलपति) उस प्रयोजन के लिए नियुक्त करे।

(4) (i) मुसज्जिल (कुलसचिव) को विश्वविद्यालय के अध्यापकों और शैक्षणिक कर्मचारिवृंद को छोड़कर ऐसे कर्मचारियों के विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई करने की शक्ति होगी जो मजलिस-ए-मुंतजेमा (कार्य परिषद्) के आदेशों में विनिर्दिष्ट किए जाएं तथा उन्हें जांच के होने तक निलंबित करने, चेतावनी देने या उन पर परिनिंदा की या वेतनवृद्धि रोकने की शस्ति अधिरोपित करने की शक्ति होगीः

परंतु ऐसी कोई शस्ति तब तक अधिरोपित नहीं की जाएगी जब तक संबंधित व्यक्ति को उसके बारे में की जाने के लिए प्रस्थापित कार्रवाई के विरुद्ध कारण बताने का उचित अवसर न दे दिया गया हो।

(ii) उपखंड (1) में विनिर्दिष्ट शस्तियों में से कोई शस्ति अधिरोपित करने के मुसज्जिल (कुलसचिव) के आदेश के विरुद्ध अपील शेख़-उल-जामिया (कुलपति) को होगी।

2. अधिसूचना संख्या एफ.एसी-5(7)/99 दिनांक 30-11-1999 द्वारा अंतःस्थापित

(iii) किसी ऐसे मामले में, जहां जांच यह प्रकट हो कि ऐसा दंड अपेक्षित है जो मुसज्जिल (कुलसचिव) की शक्ति से बाहर का है वहाँ मुसज्जिल (कुलसचिव) जांच के पूरा होने पर शेख़-उल-जामिया (कुलपति) एक रिपोर्ट अपनी सिफ़ारिशों सहित देगाः

परंतु कोई शस्ति अधिरोपित करने के शेख़-उल-जामिया (कुलपति) के आदेश के विरुद्ध अपील मजलिस-ए-मुतज़ेमा (कार्य परिषद्) की होगी।

(5) मुसज्जिल (कुलसचिव), मजलिस-ए-मुंतजेमा (कार्य परिषद्), मजलिस-ए-तालीमी (विद्या परिषद्) और संकायों का पदेन सचिव होगा, किंतु इन प्राधिकरणों में से किसी प्राधिकरण का सदस्य नहीं समझा जाएगा। वह अंजुमन (सभा) का पदेन सदस्य सचिव होगा।

(6) मुसज्जिल (कुलसचिव) का यह कर्तव्य होगा कि वहः-

(i) विश्वविद्यालय के अभिलेख, सामान्य मुद्रा और अन्य ऐसी संपत्ति का, जो मजलिस-ए-मुंतजेमा (कार्य परिषद्) उसके भारसाधन में दे, अभिरक्षक बने;

(ii) अंजुमन (सभा), मजलिस-ए-मुंतजेमा (कार्य परिषद्), मजलिस-ए-तालीमी (विद्या परिषद्) तथा संकायों अध्ययन बोर्डों, परीक्षा बोर्डों के और विश्वविद्यालयों के प्राधिकरण द्वारा स्थापित किसी समिति के अधिवेशन बुलाने की सब सूचनाएं निकाले;

(iii) अंजुमन (सभा), मजलिस-ए-मुंतजेमा (कार्य परिषद्); मजलिस-ए-तालीमी (विद्या परिषद्); संकायों तथा विश्वविद्यालय के प्राधिकरणों द्वारा स्थापित किसी समिति के सब अधिवेशनों के कार्यवृत्त रखे;

(iv) अंजुमन (सभा), मजलिस-ए-मुंतजेमा (कार्य परिषद्) और मजलिस-ए-तालीमी (विद्या परिषद्) के शासकीय पत्र-व्यवहार का संचालन करे।

(v) अध्यादेशों द्वारा विहित रीति के अनुसार विश्वविद्यालय की परीक्षाओं को व्यवस्था करे और उसका अधीक्षण करे;

(vi) कुलाध्यक्ष को विश्वविद्यालय के प्राधिकरणों के अधिवेशनों की कार्य-सूचियों, जैसे ही वे जारी की जाएं, तथा ऐसे अधिवेशनों के कार्यवृत्तों की प्रतियों का प्रदाय करे;

(vii) विश्वविद्यालय द्वारा या उसके विरुद्ध वादों या कार्यवाहियों में विश्वविद्यालय का प्रतिनिधित्व करे, मुख्तारनामों पर हस्ताक्षर करे तथा अभिवचनों का सत्यापन करे या उस प्रयोजन के लिए अपना प्रतिनिधि प्रतिनियुक्त करे; और

(viii) अन्य ऐसे कर्तव्यों का पालन करे, जो इन परिनियमों में विनिर्दिष्ट किए जाएं अथवा अध्यादेशों या विनियमों द्वारा विहित किए जाएं अथवा जिनकी मजलिस-ए-मुंतजेमा (कार्य परिषद्) या शेख़-उल-जामिया (कुलपति) द्वारा समय-समय पर अपेक्षा की जाए।

6. वित्त अधिकारीः

(1) वित्त अधिकारी विश्वविद्यालय का पूर्णकालिक वैतनिक अधिकारी होगा और वह परिनियम 25 के अधीन इस प्रयोजन के लिए गठित चयन समिति की सिफ़ारिशों पर ऐसे निबंधनों और शर्तों पर नियुक्त किया जाएगा जो अध्यादेशों द्वारा विहित की जाएं:

परंतु वित्त अधिकारी के रुप में नियुक्त किया गया व्यक्ति [बासठ][3] वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने पर सेवानिवृत्त हो जाएगा।

---

3 अधिसूचना संख्या एफ.एसी-5(7)/99 दिनांक 30-11-1999 द्वारा अंतःस्थापित

(2) जब वित्त अधिकारी का पद रिक्त है या जब वित्त अधिकारी रुग्णता, अनुपस्थिति के कारण या किसी अन्या कारण से अपने पद के कर्तव्यों का पालन करने में असमर्थ है तब उस पद के कर्तव्यों का पालन ऐसे व्यक्ति द्वारा किया जाएगा जिसे शेख़-उल-जामिया (कुलपति) इस प्रयोजन के लिए नियुक्त करे।

(3) वित्त अधिकारी मजलिस-ए-मालियात (वित्त समिति) का पदेन सचिव होगा किंतु उसे उस समिति का सदस्य नहीं समझा जाएगा।

(4) वित्त अधिकारी विश्वविद्यालय की उसकी वित्तीय नीति के संबंध में सलाह देगा और ऐसे अन्य वित्तीय कृत्यों का पालन करेगा जो उसे मजलिस-ए-मुंतजेमा (कार्य परिषद्) द्वारा सौंपे जाएं या जो इन परिनियमों या अध्यादेशों द्वारा विहित किए जाएं।

5 मजलिस-ए-मुंतजेमा (कार्य परिषद्) के नियंत्रण के अधीन रहते हुए वित्त अधिकारी-

(i) संपत्ति और विनिधानों को, जिनके अन्तर्गत न्यास और विन्यास की संपत्ति है, धारण करेगा और उनका प्रबंध करेगा;

(ii) यह सुनिश्चित करेगा कि मजलिस-ए-मुंतजेमा (कार्य परिषद्) द्वारा एक वर्ष के लिए नियत आवर्ती और अनावर्ती व्यय की सीमाओं से अधिक व्यय नहीं किया जाए और सब धन का व्यय उन्हीं प्रयोजनों के लिए किया जाए जिनके लिए वे मंजूर या आबंटित किए गए हैं;

(iii) विश्वविद्यालय के वार्षिक लेखाओं और आगामी वित्तीय वर्ष के बजट की तैयारी के लिए तथा उनके मजलिस-ए-मुंतजेमा (कार्य परिषद्) के समक्ष पेश किए जाने के लिए उत्तरदायी होगा;

(iv) नकद और बैंक अधिशेषों की स्थिति तथा विनिधानों की स्थिति पर बराबर नज़र रखेगा;

(v) राजस्व के संग्रहण की प्रगति पर नज़र रखेगा और संग्रहण करने के लिए काम में लाए जाने वाले तरीकों के विषय में सलाह देगा;

(vi) एक आंतरिक लेखापरीक्षा दल के द्वारा विश्वविद्यालय के लेखाओं की नियमित रुप से लेखा परीक्षा करवाएगा;

(vii) यह सुनिश्चित करेगा कि भवन, भूमि, फर्नीचर और उपस्कर के रजिस्टर अद्यतन बनाए रखे जाते हैं तथा विश्वविद्यालय द्वारा चलाए जाने वाले सभी कार्यालयों, केंद्रों, संस्थाओं और विद्यालयों के उपस्कर तथा अन्य खपने वाली सामग्री के स्टाक की जांच की जाती है;

(viii) अप्राधिकृत व्यय तथा अन्य वित्तीय अनियमतताओं के बारे में स्पष्टीकरण मांगेगा तथा व्यतिक्रमी व्यक्तियों के विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई का सुझाव देगा; और

(ix) विश्वविद्यालय के अधीन किसी कार्यालय, संस्था, केंद्र, विभाग या विद्यालय से कोई भी ऐसी जानकारी या विवरणी मांगेगा जो वह अपने कर्तव्यों के पालन के लिए आवश्यक समझे।

(6) वित्त अधिकारी द्वारा या मजलिस-ए-मुंतजेमा (कार्य परिषद्) द्वारा इस निमित सम्यक् रूप से प्राधिकृत व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा विश्वविद्यालय को संदेय किसी धन के लिए जारी की गई रसीद, उस धन के संदाय के दायित्व से, पर्याप्त रुप से उन्मोचित करेगी।

7. संकायाध्यक्ष

(1) प्रत्येक संकाय का एक अध्यक्ष होगा जो शेख़-उल-जामिया (कुलपति) द्वारा उस संकाय के आचार्यों में से तीन वर्ष की अवधि के लिए चक्रानुक्रम से नियुक्त किया जाएगाः

परन्तु यदि किसी समय संकाय में आचार्य नहीं है, तो शेख़-उल-जामिया (कुलपति) उपाचार्यों में से किसी एक को संकायाध्यक्ष नियुक्त कर सकेगा तथापि, यदि किसी संकाय में उपाचार्य की अवधि के दौरान किसी आचार्य को संकायाध्यक्ष नियुक्त किया जाता है तो उसकी पदावधि आचार्य की नियुक्ति की तारीख से समाप्त हो जाएगी, जो तब संकायाध्यक्ष हो जाएगा।

(2) संकायाध्यक्ष [पैंसठ][4] वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने पर उस पद पर नहीं रहेगा।

(3) संकायाध्यक्ष, अपनी पदावधि के दौरान किसी भी समय अपना पद त्याग सकेगा और आचार्य संकायाध्यक्ष के रूप में नियुक्ति के प्रस्ताव को अस्वीकार कर सकेगा।

(4) जब संकायाध्यक्ष का पद रिक्त है या जब संकायाध्यक्ष रुग्णता, अनुपस्थिति के कारण या किसी अन्य कारण से अपने पद के कर्तव्यों का पालन करने में असमर्थ है तब उस पद के कर्तव्यों का पालन उस व्यक्ति द्वारा किया जाएगा जिसे शेख़-उल-जामिया (कुलपति) उस प्रयोजन के लिए नियुक्त करे।

(5) संकायाध्यक्ष संकाय का प्रधान होगा और संकाय में शिक्षा और अनुसंधान के संचालन तथा उनका स्तर बनाए रखने के लिए उत्तरदायी होगा। उसके अन्य ऐसे कृत्य होंगे जो अध्यादेशों द्वारा विहित किए जाएं।

(6) संकायाध्यक्ष को, यथास्थिति, अध्ययन बोर्ड या संकाय की समिति के किसी अधिवेशन में उपस्थित होने और उसे संबोधित करने का अधिकार होगा किंतु जब तक वह उसका अवश्य न हो उसमें मतदान करने का अधिकार नहीं होगा।

8. विभागाध्यक्ष

(1) प्रत्येक विभाग का एक अध्यक्ष होगा जो आचार्य होगा और उसके कर्तव्य तथा कृत्य और उसकी नियुक्ति के निबंधन और शर्तें अध्यादेशों द्वारा विहित की जाएंगीः

परन्तु यदि किसी विभाग में एक से अधिक आचार्य है विभागाध्यक्ष अध्यादेशों द्वारा उसकी बाबत किए गए उपबंधों के अनुसार नियुक्त किया जाएगाः

बशर्ते कि उन विभागों के मामले में जहां केवल एक प्रोफेसर है जो पहले से ही विभागाध्यक्ष रह चुका है, अगले वरिष्ठतम रीडर/एसोसिएट प्रोफेसर को विभागाध्यक्ष नियुक्त किया जाएगा। (ऐसे मामलों में नियुक्त रीडर/एसोसिएट प्रोफेसर का प्रमुख पद दूसरे या अधिक प्रोफेसरों के कार्यभार ग्रहण करने पर समाप्त हो जाएगा और अगले प्रोफेसर को विभागाध्यक्ष नियुक्त किया जाएगा।)

बशर्ते कि विभागाध्यक्ष के रूप में नियुक्ति के प्रयोजन के लिए एसोसिएट प्रोफेसरों की वरिष्ठता को महत्व देते समय, शोध परिणामों और प्रकाशनों के साथ-साथ प्रशासनिक क्षमताओं और कुशाग्रता द्वारा दर्शाए गए शैक्षणिक योगदान पर उचित विचार किया जाना चाहिए।

बशर्ते कि किसी विभाग में जहां कोई प्रोफेसर नहीं है, अध्यादेशों द्वारा उसके संबंध में किए गए प्रावधान के अनुसार एक रीडर को विभागाध्यक्ष नियुक्त किया जा सकता है:

बशर्ते कि यदि किसी विभाग में कोई प्रोफेसर या रीडर नहीं है, तो संबंधित संकाय का डीन विभागाध्यक्ष के रूप में कार्य करेगा।

---

4. उच्चतर एवं तकनीकी शिक्षा में केंद्रीय वित्तपोषित संस्थानों में शिक्षण पदों के लिए सेवानिवृत्ति की आयु 62 से बढ़ाकर 65 वर्ष करने के भारत सरकार के निर्णय के संबंध में मानव संसाधन विकास मंत्रालय के पत्र एफ.सं. 1-19/2006-यू-II दिनांक 23.03.2007 के संदर्भ में लिए गए संकल्प संख्या 6.4 दिनांक 30.04.2007 के तहत कार्यकारी परिषद के निर्णय के बाद जोड़ा गया।

(2) आचार्य या उपाचार्य को विभागाध्यक्ष के रूप में नियुक्ति के प्रस्ताव को अस्वीकार करने की स्वतंत्रता होगी।

(3) विभागाध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया व्यक्ति उस रूप में तीन वर्ष की अवधि तक पद धारण करेगा और पुनः नियुक्ति का पात्र होगा।

(4) विभागाध्यक्ष अपनी पदावधि के दौरान किसी भी समय अपना पद त्याग सकेगा।

9. छात्र कल्याण संकायाध्यक्षः

(1) प्रत्येक छात्र कल्याण संकायाध्यक्ष की नियुक्ति विश्वविद्यालय के ऐसे अध्यापकों में से, जो उपाचार्य की पंक्ति से नीचे के न हों, मजलिस-ए-मुंतजेमा (कार्य परिषद्) द्वारा शेख़-उल-जामिया (कुलपति) की सिफारिश पर की जाएगी।

(2) खंड (1) के अधीन नियुक्त प्रत्येक संकायध्यक्ष पूर्णकालिक अधिकारी होगा तथा तीन वर्ष की अवधि तक पद धारण करेगा और पुनः नियुक्ति का पात्र होगाः

परन्तु यदि मजलिस-ए-मुंतजेमा (कार्य परिषद्) आवश्यक समझती है तो वह शेख़-उल-जामिया (कुलपति) की सिफ़ारिश पर किसी ऐसे अध्यापक को, जो उपाचार्य को पंक्ति से नीचे का न हो ऐसे अध्यापक के रूप में अपने कर्तव्यों के अतिरिक्त छात्र कल्याण संकायाध्यक्ष के कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए नियुक्त कर सकेगी और ऐसी दशा में यदि मजलिस-ए-मुंतजेमा (कार्य परिषद्) उसे दिए जाने के लिए उपयुक्त भत्ता मंजूर कर सकेगी।

(3) छात्र कल्याण संकायाध्यक्ष के रूप में नियुक्त व्यक्ति अपने मूल पर पद धारणाधिकार रखेगा और उन सब फायदों का पात्र होगा जो छात्र कल्याण संकायाध्यक्ष नियुक्त किए जाने की दशा में उसे अन्यथा प्रोद्भूत होते।

(4) जब छात्र कल्याण संकायाध्यक्ष का पद रिक्त है अथवा जब छात्र कल्याण संकायाध्यक्ष रुग्णता या अनुपस्थिति के कारण या किसी अन्य कारण से अपने पद के कर्तव्यों का पालन करने में असमर्थ है तब पद के कर्तव्यों का पालन उस व्यक्ति द्वारा किया जाएगा जिसे शेख़-उल-जामिया (कुलपति) उस प्रयोजन के लिए नियुक्त करे।

(5) छात्र कल्याण संकायाध्यक्ष के कर्तव्य और शक्तियाँ अध्यादेशों द्वारा विहित की जाएंगी।

10. पुस्तकालयाध्यक्षः

(1) पुस्तकालयाध्यक्ष की नियुक्ति परिनियम, 25 के अधीन इस प्रयोजन के लिए गठिन चयन समिति की सिफारिश पर मजलिस-ए-मुंतजेमा (कार्य परिषद्) द्वारा की जाएगी और वह विश्वविद्यालय की पूर्णकालिक अधिकारी होगा।

(2) पुस्तकालयाध्यक्ष ऐसी शक्तियों का प्रयोग और ऐसे कर्तव्यों का पालन करेगा जो उसे मजलिस-ए-मुंतजेमा (कार्य परिषद्) द्वारा सौंपे जाएं।

11. अंजुमन (सभा):

(1) सभा में निम्नलिखित व्यक्ति होंगे, अर्थातः-

पदेन सदस्यः

(i) अमीर-ए-जामिया (कुलाधिपति);

(ii) शेख़-उल-जामिया (कुलपति);
(iii) नायब शेख़-उल-जामिया (प्रतिकुलपति);
(iv) संकायों के सभी अध्यक्ष;
(v) छात्र कल्याण संकायाध्यक्ष;
(vi) मुसज्जिल (कुलसचिव)
(vii) वित्त अधिकारी;
(viii) पुस्तकालयाध्यक्ष;
(ix) दस विभागाध्यक्ष, ज्येष्ठता के अनुसार चक्रानुक्रमें से;
(x) अन्य संस्थाओं के दो अध्यक्ष।

आजीवन सदस्यः

(xi) वे व्यक्ति जिन्होंने 20 वर्षों तक जामिया की सेवा करने की शपथ ली थी।

अध्यापकों के प्रतिनिधिः

(xii) दो आचार्य, जो अध्ययन विभागों के अध्यक्ष नहीं, ज्येष्ठता के अनुसार चक्रानुक्रम से।
(xiii) शेख़-उल-जामिया (कुलपति) द्वारा नियुक्त किए गए दो उपाचार्य, ज्येष्ठता के अनुसार चक्रानुक्रम से।
(xiv) शेख़-उल-जामिया (कुलपति) द्वारा नियुक्त किए गए दो प्राध्यापक, ज्येष्ठता के अनुसार चक्रानुक्रम से।

अध्यापनेत्तर कर्मचारिवृंद के प्रतिनिधिः

(xv) अध्यापनेत्तर कर्मचारिवृंद के दो प्रतिनिधि, ज्येष्ठता के अनुसार चक्रानुक्रम से।

नामनिर्दिष्ट सदस्यः

(xvi) कुलाध्यक्ष द्वारा नामनिर्दिष्ट आठ व्यक्ति और अमीर-ए-जामिया (कुलाधिपति) द्वारा नामनिर्दिष्ट दो व्यक्ति।

सहयोजित सदस्यः

(xvii) विद्वत वृत्तियों के विशेष हितों का प्रतिनिधित्व करने वाले छः व्यक्ति जिनके अन्तर्गत उद्योग, वाणिज्य, व्यापार संघों, बैंकों और कृषि के प्रतिनिधि हैं, जो अंजुमन (सभा) द्वारा सहयोजित किए जाएंगे।

विधान मंडलों के प्रतिनिधिः

(xiii) तीन संसद सदस्य, जिनमें से दो लोक सभा के अध्यक्ष द्वारा नामनिर्दिष्ट किए जाएंगे और एक राज्य सभा के सभापति द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाएगा।

(xix) संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन द्वारा नामनिर्दिष्ट दिल्ली प्रशासन का एक प्रतिनिधि।

(xx) सभापति, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, दिल्ली

(2) अंजुमन (सभा) के पदेन सदस्यों से भिन्न सभी सदस्य, तीन वर्ष की अवधि तक पद धारण करेंगे।
[5][परन्तु] धारा 1(xviii) के अधीन कोर्ट में नामित संसद सदस्य, मंत्री/ अध्यक्ष/ उपाध्यक्ष (लोकसभा) या उपसभापति (राज्यसभा) बनने पर अंजुमन (कोर्ट) का सदस्य नहीं रहेगा।

(3) पदेन सदस्य उस समय अंजुमन (सभा) का सदस्य नहीं रहेगा, जैसे ही वह उसपद को खाली करता है, जिसके फलरुवरूप वह ऐसा सदस्य हे।

12. अंजुमन (सभा) के अधिवेशनः

(1) अंजुमन (सभा) के वार्षिक अधिवेशन, उस दशा के सिवाय जब कि किसी वर्ष के संबंध में अंजुमन (सभा) ने कोई अन्य तारीख नियत की हो, मजलिस-ए-मुंतजेमा (कार्य परिषद्) द्वारा नियत की हो, मजलिस-ए-मुंतजेमा (कार्य परिषद्) द्वारा नियत तारीख को होगा।

(2) अंजुमन (सभा) के वार्षिक अधिवेशन में, पूर्व वर्ष के दौरान विश्वविद्यालय के कार्यकरण की रिपोर्ट, प्राप्तियों और व्यय के विवरण, लेखा परीक्षित रूप में तुलनपत्र और अगले वर्ष के लिए वित्तीय प्राक्कलन सहित, प्रस्तुत की जाएगी।

---

5. भारत के राजपत्र द्वारा 13-04-2002 अंतः स्थापित

(3) खंड (2) में निर्दिष्ट प्राप्तियों और व्यय के विवरण, तुलनपत्र और वित्तीय प्राक्कलन की प्रति अंजुमन (सभा) के प्रत्येक सदस्य को वार्षिक अधिवेशन की तारीख से कम से कम सात दिन पूर्व भेजी जाएगी।

(4) अंजुमन (सभा) के अधिवेशन के लिए गणपूर्ति अंजुमन (सभा) के एक चैथाई सदस्यों से होगी।

(5) अंजुमन (सभा) के विशेष अधिवेशन मजलिस-ए-मुतंजेमा (कार्य परिषद्) या शेख़-उल-जामिया (कुलपति) द्वारा, या शेख़-उल-जामिया (कुलपति) नहीं है तो नायब शेख़-उल-जामिया (प्रतिकुलपति) द्वारा, या यदि कोई नायब शेख़-उल-जामिया (प्रतिकुलपति) नहीं है तो मुसज्जिल (कुलसचिव) द्वारा बुलाए जा सकेंगे।

13. मजलिस-ए-मुतंजेमा (कार्य परिषद्) :

(1) मजलिस-ए-मुतंजेमा (कार्य परिषद्) के निम्लिखित सदस्य होंगे, अर्थात् -

(i) शेख़-उल-जामिया (कुलपति);

(ii) नायब शेख़-उल-जामिया (प्रतिकुलपति);

(iii) संकायों के दो अध्यक्ष, ज्येष्ठता के अनुसार चक्रानुक्रम से;

(iv) छात्र कल्याण संकायाध्यक्ष;

(v) प्रबंध बोर्डो, विश्वविद्यालय केन्द्रों के निदेशकों में से एक, ज्येष्ठता के अनुसार चक्रानुक्रम से;

(vi) तीन अध्यापक विश्वविद्यालय के आचार्यों, उपाचार्यों और अध्यापकों में से एक-एक शेख़-उल-जामिया (कुलपति) द्वारा ज्येष्ठता के अनुसार चक्रानुक्रम से नियुक्त किए जाएंगे।

(vii) कुलाध्यक्ष द्वारा नामनिर्दिष्ट चार व्यक्ति;

(viii) परिनियम 11 (1) (xi) के अधीन आजीवन सदस्यों में से दो व्यक्ति जो अंजुमन (सभा) द्वारा चक्रानुक्रम से चुने जाएंगे।

(2) मजलिस-ए-मुतंजेमा (कार्य परिषद्) के अधिवेशन के लिए गणपूति पांच सदस्यों से होगी।

(3) मजलिस-ए-मुतंजेमा (कार्य परिषद्): के पदेन सदस्यों से भिन्न सभी सदस्य तीन वर्ष की अवधि तक पद धारण करेंगे।

14. मजलिस-ए-मुतंजेमा (कार्य परिषद्) की शक्तियाँ और कृत्यः

(1) मजलिस-ए-मुतंजेमा (कार्य परिषद्) विश्वविद्यालय के राजस्व और संपत्ति का प्रबंध और प्रशासन करेगी और विश्वविद्यालय के सभी ऐसे प्रशासनिक कार्यकलापों का, जिनके लिए अन्यथा उपबंध न हो संचालन करेगी।

(2) इस अधिनियम, परिनियमों और अध्यादेशों के उपबंधों के अधीन रहते हुए, मजलिस-ए-मुतंजेमा (कार्य परिषद्) को उसमें निहित अन्य सभी शक्तियों के अतिरिक्त निम्नलिखित शक्तियाँ होंगी, अर्थात्:-

(i) अध्यापन तथा शैक्षणिक पदों का सृजन करना, ऐसे पदों की संख्या तथा उनकी उपलब्धियाँ अवधारित करना और आचार्यों, उपाचार्यों प्राध्यापकों तथा अन्य शैक्षणिक कर्मचारिवृन्द, संस्थाओं और विद्यालयों के प्राचार्यों के कर्तव्य तथा सेवा की शर्तें परिनिश्चित करनाः

परंतु अध्यापकों और शैक्षणिक कर्मचारिवृन्द की संख्या, अर्हताओं और उपलब्धियों के संबंध में मजलिस-ए-मुतंजेमा (कार्य परिषद्) द्वारा की गई कोई कार्रवाई मजलिस-ए-तालीमी (विद्या परिषद्) की सिफारिश पर विचार किए बिना नहीं की जाएगी।

(ii) उतने आचार्यों, उपाचार्यों, प्राध्यापकों और अन्य शैक्षणिक कर्मचारिवृन्द को, जितने आवश्यक हों, और संस्थाओं के प्राचार्यों को परिनियम 25 के अधीन इस प्रयोजन के लिए गठित चयन समिति की सिफारिश पर नियुक्त करना तथा उनमें अस्थायी रिक्त स्थानों को भरना;

(iii) प्रशासनिक, अनुसचिवीय और अन्य आवश्यक पदों का सृजन करना तथा अध्यादेशों द्वारा विहित रीति से उन पर नियुक्ति करना;

(iv) अमीर-ए-जामिया (कुलाधिपति) और शेख़-उल-जामिया (कुलपति) से भिन्न, विश्वविद्यालय के किसी अधिकारी की अनुपस्थिति-छुट्टी देना तथा ऐसे अधिकारी की अनुपस्थिति के दौरान उसके कृत्यों के निर्वहन के लिए आवश्यक इंतजाम करना;

(v) विश्वविद्यालय के अध्यापन, प्रशासनिक सदस्यों और अन्य कर्मचारिवृन्द में इन परिनियमों और अध्यादेशों के अनुसार अनुशासन का विनियमन करना और उसका पालन कराना;

(vi) विश्वविद्यालय के वित्त, लेखाओं, विनिधानों, संपत्ति, कामकाज तथा सभी अन्य प्रशासनिक मामलों का प्रबंध और विनियमन करना;

(vii) विश्वविद्यालय के किसी धन को, जिसके अंतर्गत कोई अनुपयोजित आय भी है, ऐसे स्टाकों, निधियों, शेयरों या प्रतिभूतियों में, जिन्हें वह समय-समय पर ठीक समझे या भारत में स्थावर संपत्ति का क्रय करने में विनिहित करना जिसमें ऐसे विनिधानों में समय-समय पर उसी प्रकार परिवर्तन करने की शक्ति भी है;

(viii) विश्वविद्यालय की ओर से किसी भी जंगम या स्थावर संपत्ति अंतरित करना या उसके अंतरण की प्रतिगृहीत करना;

(ix) विश्वविद्यालय के कार्य को चलाने के लिए आवश्यक भवन, परिसर, फर्नीचर तथा साधित्र और अन्य साधनों की व्यवस्था करना;

(x) विश्वविद्यालय की ओर से संविदाएं करना, उनमें परिवर्तन करना, उन्हें कार्यान्वित करना और रद्द करना;

(xi) विश्वविद्यालय के अधिकारियों, विश्वविद्यालय के अध्यापन कर्मचारिवृन्द, अन्य कर्मचारियों और छात्रों की, जो किसी कारण से व्यथित अनुभव करें, शिकायतों को ग्रहण करना, उनका न्याय निर्णयन करना और यदि ठीक समझा जाए तो उन शिकायतों को दूर करना;

(xii) मजलिस-ए-तालीमी (विद्या परिषद्) से परामर्श, करने के पश्चात् परीक्षकों और अनुसीमकों को नियुक्त करना तथा उनकी फीस; उपलब्धियां और यात्रा तथा अन्य भत्ते नियत करना;

(xiii) विश्वविद्यालय के दाताओं का एक रजिस्टर बनाए रखना;

(xiv) विश्वविद्यालय के लिए सामान्य मुद्रा का चयन करना तथा उस मुद्रा की अभिरक्षा और उपयोग की व्यवस्था करना;

(xv) छात्राओं के निवास और अनुशासन के लिए ऐसे विशेष इंतजाम करना, जो आवश्यक हो;

(xvi) अपनी शक्तियों में से किसी शक्ति को शेख़-उल-जामिया (कुलपति), नायब शेख़-उल-जामिया (प्रतिकुलपति), मुसज्जिल (कुलसचिव) या वित्त अधिकारी को या विश्वविद्यालय के अन्य कर्मचारी या प्राधिकारी को या अपने द्वारा स्थापित की गई समिति को, जिसे वह ठीक समझे, प्रत्यायोजित करना;

(xvii) अध्येतावृत्तियाँ, छात्रवृत्तियाँ, अध्ययनवृत्तियाँ, पदक और पुरस्कार संस्थित करना; और

(xviii) अन्य ऐसी शक्तियों का प्रयोग करना तथा अन्य ऐसे कर्तव्यों का पालन करना जो इस अधिनियम या इन परिनियमों द्वारा उसे प्रदत्त अधिरोपित किए जाएं।

15. मजलिस-ए-तालीमी (विद्या परिषद्) :

(1) मजलिस-ए-तालीमी (विद्या परिषद्) में निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थातः-

(i) शेख़-उल-जामिया (कुलपति);

(ii) नायब शेख़-उल-जामिया (प्रतिकुलपति);

(iii) केंद्रों के निदेशक;

(iv) संकायों के अध्यक्ष;

(v) छात्र कल्याण संकायाध्यक्ष;

(vi) विभागाध्यक्ष;

(vii) संस्थाओं और विद्यालयों के प्राचार्य और अध्यक्ष; [6][(स्कूलों को छोड़कर)];

(viii) पुस्तकालयाध्यक्ष;

(ix) विभागाध्यक्षों से भिन्न दो प्राचार्य, जो शेख-उल-जामिया (कुलपति) द्वारा ज्येष्ठता के अनुसार, नियुक्त किए जाऐंगे;

(x) विश्वविद्यालय के दो अध्यापक, जिनमें से कम से कम एक उपाचार्य होगा और जो शेख-उल-जामिया (कुलपति) द्वारा ज्येष्ठता के अनुसार चक्रानुक्रम से नियुक्त किया जाएगा;

[7][(x-a)] प्रत्येक संकाय से दो शिक्षक, जो संबंधित संकाय के सभी शिक्षकों द्वारा 3 वर्ष की अवधि के लिए चुने जाएँगे। आगे यह भी प्रावधान है कि कोई भी शिक्षक विश्वविद्यालय में अपनी संपूर्ण सेवा अवधि के दौरान दो कार्यकाल से अधिक के लिए परिषद् में निर्वाचित होने के लिए पात्र नहीं होगा।

(x-b) जामिया मिल्लिया इस्लामिया अधिनियम के क़ानून 22-ए के तहत बनाए गए केंद्रों से दो शिक्षक, जो ऐसे केंद्रों के शिक्षकों द्वारा तीन वर्ष की अवधि के लिए चुने जाएँगे। आगे यह भी प्रावधान है कि कोई भी शिक्षक विश्वविद्यालय में अपनी संपूर्ण सेवा अवधि के दौरान दो कार्यकाल से अधिक के लिए परिषद् में निर्वाचित होने के लिए पात्र नहीं होगा।

(xi) तीन ऐसे व्यक्ति, जो विश्वविद्यालय की सेवा में नहीं, जो उनके विशेष ज्ञान के कारण मजलिस-ए-तालीमी (विद्या परिषद्) द्वारा सहयोजित किए जाएंगे।

(2) गणपूर्ति मजलिस-ए-तालीमी (विद्या परिषद्) के एक-तिहाई सदस्यों से होगी।

(3) मजलिस-ए-तालीमी (विद्या परिषद्) के पदेन सदस्यों से भिन्न सभी सदस्य तीन वर्ष की अवधि तक पद धारण करेंगे।

---

6 अधिसूचना संख्या एफ.एसी-10(3)/99 दिनांक 16-08-1999 द्वारा अंतः स्थापित

7.अधिसूचना संख्या एफ.एसी-3(37)/98-99 दिनांक 11-06-1999 द्वारा अंतः स्थापित

16. मजलिस-ए-तालीमी (विद्या परिषद्) की शक्तियाँ:

इस अधिनियम, इन परिनियमों और अध्यादेशों के अधीन रहते हुए, मजलिस-ए-तालीमी (विद्या परिषद्) की, उसमें निहित अन्य सभी शक्तियों के अतिरिक्त, निम्नलिखित शक्तियाँ होंगी, अर्थात्ः-

विश्वविद्यालय की शैक्षणिक नीतियों पर सामान्य पर्यवेक्षण रखना तथा शिक्षण के तरीकों, विभागों और संस्थाओं में सहकारी शिक्षा, अनुसंधानों के मूल्यांकन या शैक्षणिक स्तरों में सुधार के बारे में निदेश देना;

(ii) अंतर संकाय, का समन्वय करना, अन्तर संकाय आधार पर परियोजनाओं को कार्यान्वित करने के लिए समितियों या बोर्डों की स्थापना करना;

(iii) साधारण शैक्षणिक अभिरुचि के विषयों पर स्वप्रेरणा से या किसी संकाय या मजलिस-ए-मुंतजेमा (कार्य परिषद) द्वारा निदेश किए जाने पर विचार करना और उस पर समुचित कार्रवाई करना; और

(iv) इन परिनियमों और अध्यादेशों से संगत ऐसे विनियम और नियम बनाना जो विश्वविद्यालय के शैक्षणिक कार्यकरण, अनुशासन, निवास, प्रवेश, अध्येतावृत्तियों और अव्ययन वृत्तियों के दिए जाने, फीस में रियायतों, सामुदायिक जीवन और हाजिरी के संबंध में हों।

16.ए. योजना बोर्ड[8]

(1) योजना बोर्ड में निम्नलिखित शामिल होंगे:

(i) शेख-उल-जामिया (कुलपति) - अध्यक्ष;

(ii) नायब शेख-उल-जामिया (प्रतिकुलपति);

(iii) संकाय के दो डीन जो मजलिस-ए-मुंतज़िमा (कार्य परिषद) के सदस्य हों;

(iv) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का एक नामित व्यक्ति;

(v) विश्वविद्यालय योजना का विशेष ज्ञान रखने वाले पाँच प्रतिष्ठित शिक्षाविद्, जिन्हें शेख-उल-जामिया (कुलपति) की सिफारिश पर मजलिस-ए-मुंतज़िमा (कार्यकारी परिषद) द्वारा नियुक्त किया जाएगा;

(vi) वित्त अधिकारी; और

(vii) मुसज्जिल (कुलसचिव) - सचिव।

(2) योजना बोर्ड के सदस्यों का कार्यकाल, पदेन सदस्यों को छोड़कर, तीन वर्ष का होगा और वे पुनर्नियुक्ति के पात्र होंगे।

(3) योजना बोर्ड की बैठक के लिए गणपूर्ति छह सदस्यों की होगी।

(4) योजना बोर्ड की बैठक वर्ष में कम से कम दो बार होगी।

(5) शक्तियाँ और कार्य:

योजना बोर्ड:

(i) विश्वविद्यालय के उद्देश्यों के अनुरूप समग्र परिप्रेक्ष्य नियोजन और विकास के लिए उत्तरदायी होगा।
(ii) विश्वविद्यालय के उत्कृष्टता के क्षेत्र का निर्धारण करेगा और अनुसंधान के लिए प्रमुख क्षेत्रों की पहचान करेगा।

(iii) विभिन्न संकायों और विभागों से प्राप्त विकास प्रस्तावों की जाँच, युक्तिसंगतीकरण और समन्वय करेगा, जिन्हें मजलिस-ए-मुंतजेमा (कार्य परिषद) और मजलिस-ए-तालीमी (विद्या परिषद) को उनके विचार और अनुमोदन हेतु प्रस्तुत किया जाएगा।

(iv) संकायों, अध्ययन विभागों और अन्य विभागों को किसी पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान उनके विकास के क्षेत्रों का सुझाव देना।

(v) विश्वविद्यालय की अनुमोदित योजना के कार्यान्वयन की निगरानी करना।

(vi) मजलिस-ए-तालीमी (विद्या परिषद) और मजलिस-ए-मुंतज़िमा (कार्य परिषद) को ऐसे विषयों और अध्ययन पाठ्यक्रमों के लिए योजना प्रस्ताव प्रस्तुत करना जिनका विश्वविद्यालय में कोई केंद्र नहीं है।

(vii) मजलिस-ए-तालीमी (विद्या परिषद) और संकाय को पाठ्यक्रमों के पुनर्गठन और अध्ययन विभागों के बीच अंतःविषयक अंतःक्रिया शुरू करने के संबंध में उपाय प्रस्तावित करना।

(viii) ऐसे अन्य कार्य करना और ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग करना जो मजलिस-ए-मुंतजेमा (कार्य परिषद) द्वारा समय-समय पर सौंपी या प्रत्यायोजित की जाएँ।

(6) शैक्षणिक योजना के संबंध में योजना बोर्ड और मजलिस-ए-तालीमी (शैक्षणिक परिषद) के बीच मतभेद होने की स्थिति में, मामला मजलिस-ए-मुंतज़िमा (कार्यकारी परिषद) को भेजा जाएगा, जिसका निर्णय अंतिम होगा।

(7) योजना बोर्ड अपने समग्र पर्यवेक्षण में अपने उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु एक योजना प्रकोष्ठ की स्थापना करेगा और इस प्रयोजन के लिए जितनी आवश्यक समझे उतनी समितियाँ नियुक्त करेगा।

परंतु इन समितियों के दो-तिहाई सदस्य विश्वविद्यालय के शिक्षक होंगे।

---

8. उपरोक्त अतिरिक्त परिनियम 16-ए "योजना बोर्ड" भारत के राष्ट्रपति द्वारा विश्वविद्यालय के विजिटर की हैसियत से जामिया मिल्लिया इस्लामिया अधिनियम, 1988 की धारा 24(3) के तहत उन्हें प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अनुमोदित किया गया था, जो मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र संख्या f.6-11/90-डेस्क (यू) दिनांक 15.4.1991 और मजलिस-ए-मुंतज़िमा (कार्यकारी परिषद) के संकल्प V(i) दिनांक 17.6.1991 के तहत 15.4.1991 से लागू हुआ।

17. संकाय और विभागः

विश्वविद्यालय में निम्नलिखित संकाय होंगे, अर्थातः-

(i) मानविकी और भाषा संकाय;

(ii) सामाजिक विज्ञान संकाय;

(iii) शिक्षा संकाय;

(iv) इंजीनियरिंग एवं प्रौद्योगिकी संकाय;

(v) विधि संकाय;

[9][(vi) वास्तुकला एवं एकीस्टिक्स संकाय];

[10][(vii) दंत चिकित्सा संकाय];

[11][(viii) ललित कला संकाय];

[12][(ix) प्रबंधन अध्ययन संकाय];

[13][(x) विज्ञान संकाय];

(xi) जीवन विज्ञान संकाय; और

(xii) ऐसे अन्य संकाय जो इन विधियों द्वारा निर्धारित किए जा सकते हैं।

18. संकायों का गठन

(1) इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी संकाय से भिन्न प्रत्येक संकाय में निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थातः-

(i) संकायाध्यक्ष, जो अध्यक्ष होगा;

(ii) संकाय के सब आचार्य;

(iii) संकाय को सौंपे गए विभागों के सभी अध्यक्ष, जो आचार्य न हों;

(iv) प्रत्येक विभाग से एक उपाचार्य, ज्येष्ठता के अनुसार चक्रानुक्रम से;

(v) प्रत्येक विभाग से दो प्राध्यापक (जिनमें से एक दस वर्ष से अधिक सेवा वाला तथा दूसरा दस वर्ष से कम सेवा वाला होगा)

(vi) मजलिस-ए-तालीमी (विद्या परिषद्) द्वारा विश्वविद्यालय के अन्य संकायों में से नामनिर्दिष्ट चार व्यक्ति; और

(vii) पांच ऐसे व्यक्ति, जो विश्वविद्यालय की सेवा में न हों और संकाय को सौंपे गए किसी विषय के विशेष ज्ञान के कारण संकाय द्वारा सहयोजित किए जाएं, परन्तु किसी एक विभाग को सौंपे गए किसी विषय की बाबत एक से अनधिक व्यक्ति सहयोजित नहीं किया जा सकेगा।

---

9. अधिसूचना संख्या F.5/L&O/JMI दिनांक 24-08-2005 द्वारा अंतःस्थापित
10. अधिसूचना संख्या R.O./L/Ord./07 दिनांक 03-12-2007 द्वारा अंतःस्थापित
11. अधिसूचना संख्या R.O./L/Ord./07 दिनांक 03-12-2007 द्वारा अंतःस्थापित
12. अधिसूचना संख्या C&O-5(7)/RO/2022 दिनांक 05-05-2022 द्वारा अंतःस्थापित
13. क्रम संख्या (x) और (xi) अधिसूचना संख्या C&O-5(7)/RO/2023 दिनांक 04.09.2023 द्वारा अंतःस्थापित

(2) इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी संकाय में निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थातः-

(i) संकाय का संकायाध्यक्ष, जो अध्यक्ष होगा;

(ii) पॉलिटेक्निक विश्वविद्यालय का प्रधान;

(iii) संकाय के सब आचार्य;

(iv) संकाय के प्रत्येक विभाग से एक उपाचार्य और एक प्राध्यापक, ज्येष्ठता के अनुसार चक्रानुक्रम से;

(v) पॉलिटेक्निक विश्वविद्यालय से तीन से अनधिक उपाचार्य,

(vi) पॉलिटेक्निक विश्वविद्यालय का एक प्राध्यापक, ज्येष्ठता के अनुसार चक्रानुक्रम से;

(vii) एक व्यक्ति, जो विश्वविद्यालय की सेवा में न हो और जिसे संबंधित विषय या विषयों का विशेषज्ञीय जानकारी हो, जिसे प्रत्येक विभाग के लिए संकाय द्वारा सहयोजित किया जाएगा; और

(viii) संकाय को सौंपे गए किसी विषय के या किसी संबंधित ज्ञान की शाखा के विशेष ज्ञान के कारण मजलिए-ए-तालीमी (विद्या परिषद्) द्वारा नामनिर्दिष्ट तीन सदस्य।

(3) संकाय के पदेन सदस्यों से भिन्न सभी सदस्य तीन वर्ष की अवधि तक पद धारण करेंगे।

(4) संकाय के अधिवेशनों का संचालन और प्रत्येक संकाय के लिए अपेक्षित गणपूर्ति अध्यादेशों द्वारा विहित की जाएगी।

19. संकायों की शक्तियाँ और कृत्यः

संकायों को अध्यादेशों के अधीन विहित शक्तियाँ और कृत्यों के अतिरिक्त निम्नलिखित शक्तियाँ होंगी-

(i) संकाय को दिए गए विभागों के अध्यापन आर अनुसंधान कार्यकलापों का समन्वय करना तथा अंतरविषयक अध्यापन और अनुसंधान की अभिवृद्धि करना और उसकी व्यवस्था करना तथा संकाय के कार्यक्षेत्र के अंतर्गत आने वाले विषयों में परीक्षा और कालिक परीक्षणों की व्यवस्था करना;

(ii) अध्ययन बोर्डों या समितियों की स्थापना करना या एक से अधिक विभाग से सामान्य रूप से संबंधित अनुसंधान परियोजनाओं को हाथ में लेना;

(iii) विभागों द्वारा प्रस्थापित पाठ्यक्रम अनुमोदन करना;

(iv) अध्ययन बोर्डों या उच्च शिक्षा और अनुसंधान समिति की सिफ़ारिशें मजलिए-ए-मुंतज़ेमा (कार्य परिषद्) को भेजना;

(v) संकाय द्वारा चलाए जाने वाले पाठ्यक्रमों की परीक्षा के लिए अध्यादेशों का प्रारूप प्रस्थापित करना;

(vi) अध्यापन पदों के सृजन और समापन की प्रस्थापनाओं की सिफारिश करना; और

(vii) अन्य ऐसे कृत्य करना जो मजलिए-ए-मुंतज़ेमा (कार्य परिषद्) और मजलिए-ए-तालीमी (विद्वत परिषद्) विहित करें।

20. विभाग

(1) प्रत्येक संकाय के उतने विभाग होंगे जितने परिनियमों द्वारा समनुदेशित किए जाएं।

(2) कोई भी विभाग, इन परिनियमों द्वारा विहित किए जाने के सिवाय न तो स्थापित किया जाएगा और न समाप्त किया जाएगा।

(3) विद्यमान विभाग और उससे संबंधित संकायों का विवरण जामिया मिलिया इस्लामिया अधिनियम, 1988 के प्रारंभ में विश्वविद्यालय में इस संविधि के **परिशिष्ट 'क'** में दिया गया है।[14]

बशर्ते कि निम्नलिखित अध्ययन विभाग भी होंगे:

(i) शैक्षिक अध्ययन विभाग;
(ii) शिक्षक प्रशिक्षण एवं अनौपचारिक शिक्षा विभाग (शिक्षा में उन्नत अध्ययन संस्थान);
(iii) इतिहास एवं संस्कृति विभाग;
(iv) उर्दू विभाग;
(v) इस्लामी अध्ययन विभाग;
(vi) अरबी विभाग;
(vii) फ़ारसी विभाग;
(viii) हिंदी विभाग;
(ix) अंग्रेजी विभाग;
(x) पर्यटन एवं आतिथ्य प्रबंधन विभाग;
(xi) अर्थशास्त्र विभाग;
(xii) राजनीति विज्ञान विभाग;
(xiii) समाज कार्य विभाग;
(xiv) समाजशास्त्र विभाग;
(xv) मनोविज्ञान विभाग;
(xvi) वाणिज्य एवं व्यवसाय अध्ययन विभाग;
(xvii) प्रौढ़ एवं सतत शिक्षा एवं विस्तार विभाग;
(xviii) भौतिकी विभाग;
(xix) रसायन विज्ञान विभाग;
(xx) भूगोल विभाग;
(xxi) गणित विभाग;
(xxii) जैव विज्ञान विभाग;
(xxiii) कंप्यूटर विज्ञान विभाग;
(xxiv) जैव प्रौद्योगिकी विभाग;

(xxv) सिविल इंजीनियरिंग विभाग;
(xxvi) यांत्रिक इंजीनियरिंग विभाग;
(xxvii) विद्युत इंजीनियरिंग विभाग;
(xxviii) अनुप्रयुक्त विज्ञान एवं मानविकी विभाग;
(xxix) इलेक्ट्रॉनिक्स एवं संचार इंजीनियरिंग विभाग;
(xxx) कंप्यूटर इंजीनियरिंग विभाग;

---

14. अधिसूचना संख्या R.O./L/Ord./07 दिनांक 02-01-2008 द्वारा सम्मिलित

(xxxi) विश्वविद्यालय पॉलिटेक्निक;
(xxxii) वास्तुकला विभाग;
(xxxiii) चित्रकला विभाग;
(xxxiv) मूर्तिकला विभाग;
(xxxv) अनुप्रयुक्त कला विभाग;
(xxxvi) कला शिक्षा विभाग;
(xxxvii) कला इतिहास एवं कला प्रशंसा विभाग;
(xxxviii) ग्राफिक कला विभाग;
(xxxix) [16] विदेशी भाषा विभाग;
(xl) अस्पताल प्रबंधन एवं धर्मशाला अध्ययन विभाग;
(xli) पर्यावरण विज्ञान विभाग;
(xlii) डिजाइन एवं नवाचार विभाग;
(xliii) प्रबंधन अध्ययन विभाग;
(xliv) [17] योजना विभाग;
(xlv) [18] विधि विभाग;
(xlvi) दंत चिकित्सा विज्ञान विभाग;
(xlvii) चिकित्सा विज्ञान विभाग; और
(xlviii) ऐसे अन्य विभाग जो समय-समय पर सृजित और समुनदेशित किये जा सकते हैं

(4) प्रत्येक विभाग में निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थात्:-
(i) विभाग के शिक्षक;
(ii) विभाग में अनुसंधान करने वाले व्यक्ति;
(iii) संकाय के डीन या संकायों के डीन;
(iv) विभाग से संबद्ध मानद प्रोफेसर, यदि कोई हों; और
(v) ऐसे अन्य व्यक्ति जो अध्यादेशों के प्रावधानों के अनुसार विभाग के सदस्य हो सकते हैं।

(5) प्रत्येक विभाग का एक विभागाध्यक्ष होगा, जिसकी नियुक्ति इन परिनियमों के अनुसार की जाएगी और वह अध्यादेशों द्वारा निर्धारित कार्यों का निष्पादन करेगा।

---

15. अधिसूचना संख्या जेएमआई/आर.ओ./एल एंड ऑर्ड. /2014 दिनांक 12.5.2014 द्वारा सम्मिलित
16. क्रम संख्या अधिसूचना संख्या C&O-5(7)/RO/2022 दिनांक 05.05.2022 द्वारा (xxxix) से (xliii) तक अंतःस्थापित
17. कार्यालय ज्ञापन संख्या C&O-5(7)/RO/2022 दिनांक 29.10.2023 द्वारा अंतःस्थापित

18. अधिसूचना संख्या C&O-5(7)/RO/2024 दिनांक 13.03.2024 द्वारा क्रम संख्या (xlv) से (xlvii) तक अंतःस्थापित

ऊपर उद्‌धृत परिनियम 20 के संशोधित खंड (3) में उल्लिखित परिशिष्ट 'क' इस प्रकार है:

परिशिष्ट 'क'

जेएमआई अधिनियम, 1988 के प्रारंभ में विश्वविद्यालय में विद्यमान अध्ययन विभाग और उससे संबंधित संकाय।

1. शिक्षा संकाय (अध्ययन विभाग)
   - (i) शैक्षणिक अध्ययन विभाग;
   - (ii) शिक्षक प्रशिक्षण एवं अनौपचारिक शिक्षा विभाग (शिक्षा में उन्नत अध्ययन संस्थान); और
   - (iii) ऐसे अन्य विभाग जो समय-समय पर सृजित और सौंपे जा सकते हैं।
2. मानविकी एवं भाषा संकाय (अध्ययन विभाग)
   - (i) इतिहास एवं संस्कृति विभाग;
   - (ii) उर्दू विभाग;
   - (iii) इस्लामी अध्ययन विभाग;
   - (iv) अरबी विभाग;
   - (v) फ़ारसी विभाग;
   - (vi) हिंदी विभाग;
   - (vii) अंग्रेजी विभाग;
   - (viii) विदेशी भाषा विभाग; और
   - (ix) ऐसे अन्य विभाग जो समय-समय पर बनाए और सौंपे जा सकते हैं।
3. सामाजिक विज्ञान संकाय (अध्ययन विभाग)
   - (i) अर्थशास्त्र विभाग;
   - (ii) राजनीति विज्ञान विभाग;
   - (iii) समाज कार्य विभाग;
   - (iv) समाजशास्त्र विभाग;
   - (v) मनोविज्ञान विभाग;
   - (vi) वाणिज्य एवं व्यवसाय अध्ययन विभाग;
   - (vii) प्रौढ़ एवं सतत शिक्षा एवं विस्तार विभाग; और
   - (viii) ऐसे अन्य विभाग जो समय-समय पर बनाए और सौंपे जा सकते हैं।
4. इंजीनियरिंग एवं प्रौद्योगिकी संकाय (अध्ययन विभाग)
   - (i) सिविल इंजीनियरिंग विभाग;
   - (ii) यांत्रिक इंजीनियरिंग विभाग;
   - (iii) विद्युत इंजीनियरिंग विभाग;
   - (iv) अनुप्रयुक्त विज्ञान एवं मानविकी विभाग;
   - (v) इलेक्ट्रॉनिक्स एवं संचार इंजीनियरिंग विभाग;
   - (vi) कंप्यूटर इंजीनियरिंग विभाग;
   - (vii) विश्वविद्यालय पॉलिटेक्निक;
   - (viii) पर्यावरण विज्ञान विभाग; और
   - (ix) समय-समय पर बनाए और सौंपे जा सकने वाले अन्य विभाग।
5. वास्तुकला एवं एकीस्टिक्स संकाय (अध्ययन विभाग)
   - (i) वास्तुकला विभाग;
   - (ii) डिजाइन एवं नवाचार विभाग;
   - (iii) योजना विभाग; और
   - (iv) समय-समय पर बनाए और सौंपे जा सकने वाले अन्य विभाग।
6. ललित कला संकाय (अध्ययन विभाग)
   - (i) चित्रकला विभाग;
   - (ii) मूर्तिकला विभाग;
   - (iii) अनुप्रयुक्त कला विभाग;
   - (iv) कला शिक्षा विभाग;
   - (v) ग्राफिक कला विभाग;

(vi) कला इतिहास एवं कला प्रशंसा विभाग; और

(vii) ऐसे अन्य विभाग जो समय-समय पर बनाए और सौंपे जा सकते हैं।

7.विधि संकाय (अध्ययन विभाग)

(i) विधि विभाग; और

(ii) ऐसे अन्य विभाग जो समय-समय पर बनाए और सौंपे जा सकते हैं।

8.दंत चिकित्सा संकाय (अध्ययन विभाग)

(i) दंत विज्ञान विभाग;

(ii) चिकित्सा विज्ञान विभाग; और

(iii) ऐसे अन्य विभाग जो समय-समय पर बनाए और सौंपे जा सकते हैं।

9. प्रबंधन अध्ययन संकाय (अध्ययन विभाग)

(i) अस्पताल प्रबंधन एवं धर्मशाला अध्ययन विभाग;

(ii) प्रबंधन अध्ययन विभाग;

(iii) पर्यटन एवं आतिथ्य प्रबंधन विभाग; और

(vi) ऐसे अन्य विभाग जो समय-समय पर बनाए और सौंपे जा सकते हैं।

10. [19][विज्ञान संकाय (अध्ययन विभाग)

(i) भौतिकी विभाग;

(ii) रसायन विज्ञान विभाग;

(iii) भूगोल विभाग;

(iv) गणित विभाग;

(v) कंप्यूटर विज्ञान विभाग; और

(vi) समय-समय पर बनाए और सौंपे जाने वाले ऐसे अन्य विभाग।

11. जीवन विज्ञान संकाय (अध्ययन विभाग)]

(i) जैव विज्ञान विभाग;

(ii) जैव प्रौद्योगिकी विभाग; और

(iii) समय-समय पर बनाए और सौंपे जाने वाले ऐसे अन्य विभाग।

---

19. अधिसूचना संख्या सीएंडओ-5(7)/आरओ/2023 दिनांक 04.09.2023 द्वारा क्रम संख्या (10) एवं (11) को अंतःस्थापित

21. अध्ययन बोर्डः

(1) प्रत्येक विभाग में एक अध्ययन बोर्ड होगा जिसमें निम्नलिखित होंगेः-

(i) विभागाध्यक्ष, जो अध्यक्ष होगा;

(ii) संबंधित संकाय का अध्यक्ष;

(iii) विभाग के सभी सदस्य;

(iv) मजलिस-ए-तालीमी (शिक्षा परिषद्) द्वारा नामनिर्दिष्ट, विश्वविद्यालय में संबंधित या एक जैसे विषयों में अध्यापन करने वाले दो व्यक्ति; और

(v) अध्ययन बोर्ड द्वारा सहयोजित किए जाने वाले दो विशेषज्ञ जो विश्वविद्यालय की सेवा में न हो;

(2) उपखंड (1) की मद (iv) और मद (v) में विनिर्दिष्ट सदस्यों की नियुक्ति तीन वर्ष की अवधि के लिए होगी।

(3) अध्ययन बोर्ड के कृत्य निम्नलिखित होंगे-

(i) संकाय को अध्यादेशों द्वारा विहित रीति से निम्नलिखित के संबंध में सिफारिश करनाः-

(क) पाठ्यक्रम;

(ख) स्नातकपूर्व और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के लिए, जिनमें अनुसंधान उपाधि नहीं है, परीक्षकों की नियुक्ति;

(ग) अध्यापन पदों का सृजन, समापन या उन्नयन;

(घ) प्रत्येक पद के सृजन के समय उसका अध्ययन क्षेत्र;

(ड.) अध्यापन और अनुसंधान के स्तर में सुधार के उपाय;

(च) विभिन्न उपाधियों के लिए अनुसंधान के लिए विषय और अनुसंधान कार्य की अन्य अपेक्षाएं; और

(छ) अनुसंधान कार्य के लिए पर्यवेक्षकों की नियुक्ति;

(ii) अध्यापकों में अध्यापन कार्य आबंटित करना;

(iii) विभाग के साधारण और शैक्षिक हित के और उसके कार्यकरण के विषयों पर विचार करना;

(iv) ऐसे अन्य कृत्य करना जो संकाय द्वारा उसे सौंपे किए जाएंः

परंतु कोई विभगा अपने बड़े आकार के कारण या अन्यथा, अपने कृत्यों के दक्षतापूर्ण निर्वहन के हित में समितियां गठित कर सकेगा और उन्हें विनिर्दिष्ट क्षेत्रों में, जो अध्यादेशों द्वारा विहित किए जाएं, उत्तरदायितव सौंप सकेगा।

22. (ए. जे. किदवई) जनसंचार अनुसंधान केंद्रः

(1) अधिनियम और इन परिनियमों के प्रावधानों के अधीन रहते हुए, [20](ए.जे. किदवई) जनसंचार अनुसंधान केंद्र (विश्वविद्यालय की एक स्वायत्त इकाई के रूप में कार्य करेगा, जिसके कामकाज का प्रबंधन और पर्यवेक्षण करने के लिए एक प्रबंधन बोर्ड होगा)।

बशर्ते कि मजलिस-ए-मुंतजेमा (कार्य परिषद) समय-समय पर, केंद्र के सुचारू संचालन के लिए सभी मामलों पर ऐसे निर्देश जारी कर सकती है, जिन्हें वह आवश्यक समझे।

(2) (ए.जे. किदवई) जनसंचार अनुसंधान केंद्र, विश्वविद्यालय के उद्देश्यों के अनुरूप जनसंचार माध्यमों में शिक्षण एवं अनुसंधान का आयोजन करेगा।

(3) (ए.जे. किदवई) जनसंचार अनुसंधान केंद्र के प्रबंध मंडल में निम्नलिखित सदस्य शामिल होंगे:-

(i) शेख-उल-जामिया (कुलपति), जो अध्यक्ष होंगे;

(ii) केंद्र के निदेशक की नियुक्ति मजलिस-ए-मुंतजेमा (कार्य परिषद) द्वारा विधिवत गठित चयन समिति की सिफारिशों पर उनकी नियुक्ति की तिथि से पाँच वर्ष की अवधि के लिए की जाएगी और वे एक और कार्यकाल से अधिक के लिए पुनर्नियुक्ति के पात्र नहीं होंगे;

(iii) जनसंचार के क्षेत्र में चार प्रतिष्ठित व्यक्ति, जिन्हें मजलिस-ए-मुंतजेमा (कार्य परिषद) द्वारा अध्यक्ष के परामर्श से विश्वविद्यालय के बाहर से नामित किया जाएगा;

(iv) शेख-उल-जामिया (कुलपति) का एक नामित व्यक्ति;

(v) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा नामित दो व्यक्ति;

(vi) अन्य विश्वविद्यालयों के जनसंचार केंद्रों में से एक विशेषज्ञ, जिसे मजलिस-ए-मुंतजेमा (कार्य परिषद) द्वारा नामित किया जाएगा;

(vii) केंद्र के सभी विभागों के प्रमुख।

(4) निदेशक प्रबंधन बोर्ड का सदस्य/ सचिव होगा।

(5) पदेन सदस्यों से भिन्न सदस्यों की पदावधि तीन वर्ष की होगी।

(6) (अधिनियम और संविधि के अधीन) बोर्ड निम्नलिखित सभी या किन्हीं शक्तियों का प्रयोग करने के लिए सक्षम होगा, अर्थात्:-

(i) शैक्षणिक और तकनीकी कर्मचारी (अतिथि संकाय सहित) के ऐसे सदस्यों को, जिन्हें वह अनुमोदित नियमों और शर्तों पर उचित समझे, संविदात्मक रूप से नियुक्त करना;

(ii) ऐसे अधिकारी या अधिकारियों को, जिन्हें वह आवश्यक समझे, ऐसी शर्तों के अधीन प्रशासनिक, वित्तीय और अन्य शक्तियाँ सौंपना;

(iii) संबंधित प्राधिकारियों के समग्र पर्यवेक्षण के अधीन, केंद्र के वित्त, लेखा, व्यवसाय और अन्य सभी प्रशासनिक मामलों का प्रबंधन और विनियमन करना;

(iv) फेलोशिप, छात्रवृत्ति, छात्रवृत्ति, पदक, पुरस्कार, प्रमाण-पत्र और योग्यता प्रमाण-पत्र प्रदान करना और उनका विनियमन करना;

(v) परीक्षाओं के संचालन से संबंधित परीक्षकों, मॉडरेटरों और अन्य व्यक्तियों की नियुक्ति करना और उनका पारिश्रमिक निर्धारित करना;

(vi) केंद्र को उसके कार्यों के निर्वहन में मार्गदर्शन और विनियमन करना।

(7) प्रबंधन बोर्ड, केंद्र के सभी मामलों से संबंधित अपनी वार्षिक रिपोर्ट मजलिस-ए-मुंतजेमा (कार्य परिषद) को प्रस्तुत करेगा।

(8) केंद्र के वार्षिक लेखे और वित्तीय प्राक्कलन मजलिस-ए-मालियात (वित्त समिति) को प्रस्तुत किए जाएंगे।

(9) केंद्र का निदेशक, केंद्र के समग्र कामकाज के लिए कुलपति के प्रति उत्तरदायी होगा और अध्यादेशों द्वारा निर्धारित शक्तियों का प्रयोग और कर्तव्यों का पालन करेगा।

बशर्ते कि निदेशक पैंसठ वर्ष की आयु प्राप्त करने पर पद से मुक्त हो जाएगा, भले ही उसका कार्यकाल समाप्त न हुआ हो।

(10) केंद्र के निदेशक को मजलिस-ए-मुंतजेमा (कार्य परिषद) की सभी बैठकों में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया जाएगा, जब भी केंद्र से संबंधित कोई मामला एजेंडे में हो।

(11) प्रबंधन बोर्ड को केंद्र के समुचित एवं प्रभावी संचालन हेतु अध्यादेशों का प्रारूप तैयार करने/संशोधन करने/परिवर्तित करने की शक्तियाँ होंगी और इन्हें संविधि 39 के अधिदेश के अनुसार मजलिस-ए-मुंतजेमा (ई.सी.) के विचारार्थ प्रस्तुत किया जाएगा।

इसके अतिरिक्त, शेख-उल-जामिया (कुलपति) आपात स्थिति और प्रशासन की अनिवार्यताओं में, केंद्र के प्रभावी प्रबंधन हेतु अध्यादेशों का प्रारूप तैयार करने या संशोधित करने हेतु अपना प्रस्ताव मजलिस-ए-मुंतजेमा (ई.सी.) के समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं।

अनुलग्नक

(1) ए.जे. किदवई जनसंचार अनुसंधान केंद्र का एक निदेशक होगा, जिसकी नियुक्ति जामिया मिलिया इस्लामिया अधिनियम 1988 (जून 1988 में संशोधित अधिनियम) के परिनियम 22 में निर्धारित शक्तियों के अनुसार की जाएगी और वह उनका प्रयोग करेगा।

(2) उक्त केंद्र का निदेशक विश्वविद्यालय का पूर्णकालिक वेतनभोगी अधिकारी होगा, जिसके नियोजन की शर्तें और नियम समय-समय पर कार्यकारी परिषद द्वारा निर्धारित किए जाएंगे।

(3) अधिनियम, परिनियमों और अध्यादेशों के अधीन रहते हुए, केंद्र का निदेशक ऐसी शक्तियों का प्रयोग और ऐसे कर्तव्यों का पालन करेगा, जो नीचे दिए गए हैं:

(क) केंद्र के प्रभावी शैक्षणिक और प्रशासनिक कामकाज, जिसमें वित्तीय प्रबंधन भी शामिल है, के लिए अध्यक्ष द्वारा समय-समय पर निर्दिष्ट सभी या किन्हीं मामलों के संबंध में अध्यक्ष का प्रयोग, निष्पादन और सहायता करना;

(ख) ऐसी शक्तियों का प्रयोग और ऐसे कर्तव्यों का पालन करना, जो प्रबंधन बोर्ड द्वारा अनुमोदित हों;

(ग) मजलिस-ए-मुंतजेमा (कार्य परिषद) द्वारा समय-समय पर दिए गए निर्देशों का पालन करना और कर्तव्यों का पालन करना;

(घ) केंद्र के दिन-प्रतिदिन के कामकाज के लिए आवश्यक अन्य कर्तव्यों और कार्यों का पालन करना;

(4) केंद्र के निदेशक, कार्यकारी परिषद द्वारा समय-समय पर इस संबंध में निर्धारित अवकाश, अवकाश वेतन, भत्ते, भविष्य निधि और अन्य सेवा लाभों के हकदार होंगे।

(5) जामिया मिलिया इस्लामिया अधिनियम, 1988 द्वारा अनुसमर्थित परिनियम 38 में निहित प्रावधान केंद्र के निदेशक पर लागू होंगे।

(6) निदेशक कार्यालय और अपने निवास के बीच यात्रा के लिए स्टाफ कार के उपयोग के हकदार होंगे। इसके अतिरिक्त, निदेशक के निवास पर एसटीडी/ आईएसडी के बिना निःशुल्क टेलीफोन सेवा उपलब्ध होगी।

22-ए. केंद्र:

(1) परिनियम 22 के अनुपूरक के रूप में, विश्वविद्यालय में निम्नलिखित केंद्र भी होंगे, अर्थात्:-

(i) डॉ. ज़ाकिर हुसैन इस्लामिक अध्ययन संस्थान;
(ii) एफटीके-सूचना प्रौद्योगिकी केंद्र;
(iii) मौलाना मोहम्मद अली जौहर अंतर्राष्ट्रीय अध्ययन अकादमी;
(iv) दूरस्थ एवं मुक्त शिक्षा केंद्र;
(v) नेल्सन मंडेला शांति एवं संघर्ष समाधान केंद्र;
(vi) जवाहरलाल नेहरू अध्ययन केंद्र;
(vii) तुलनात्मक धर्म एवं सभ्यता केंद्र;
(viii) पश्चिम एशियाई अध्ययन केंद्र;
(ix) डॉ. के.आर. नारायणन दलित एवं अल्पसंख्यक अध्ययन केंद्र;
(x) फिजियोथेरेपी एवं पुनर्वास विज्ञान केंद्र;
(xi) उर्दू माध्यम शिक्षक व्यावसायिक विकास अकादमी;
(xii) पूर्वोत्तर अध्ययन एवं नीति अनुसंधान केंद्र;
(xiii) नैनोविज्ञान एवं नैनोप्रौद्योगिकी केंद्र;
(xiv) सैद्धांतिक भौतिकी केंद्र;
(xv) भारत अरब सांस्कृतिक केंद्र;
(xvi) संस्कृति, मीडिया एवं शासन केंद्र;
(xvii) मूलभूत विज्ञान में अंतःविषयक अनुसंधान केंद्र; और
(xviii) ऐसे अन्य केंद्र जो इन विधियों द्वारा निर्धारित किए जा सकते हैं।

(2) अधिनियम और इन विधियों के प्रावधानों के अधीन, प्रत्येक केंद्र एक प्रबंधन बोर्ड के अधीन कार्य करेगा, जिसकी संरचना, शक्तियाँ और कार्य संबंधित केंद्रों के अध्यादेशों में निर्धारित अनुसार होंगे।

(3) प्रत्येक केंद्र का एक निदेशक होगा, जिसकी नियुक्ति संबंधित विधि के प्रावधानों के अनुसार की जाएगी; और उसे अध्यादेशों द्वारा निर्धारित शक्तियाँ प्राप्त होंगी और वह उनके अनुरूप कार्य करेगा।

23. जामिया के विद्यालयः

(1) जामिया मिल्लिया इस्लामिया अधिनियम, [निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 और उसके अधीन बनाए गए नियम, तथा ये परिनियम] के प्रावधानों के अधीन, विश्वविद्यालय द्वारा स्थापित और अनुरक्षित स्कूल एक स्वायत्त इकाई के रूप में कार्य करेंगे, जिनके कामकाज का प्रबंधन और पर्यवेक्षण करने के लिए एक प्रबंधन बोर्ड होगा:

बशर्ते कि मजलिस-ए-मुंतजेमा (कार्य परिषद) समय-समय पर सभी मामलों पर ऐसे निर्देश जारी कर सकती है, जिन्हें वह विद्यालयों के सुचारू संचालन के लिए आवश्यक समझे और यदि प्रबंधन बोर्ड ऐसे निर्देशों से सहमत नहीं है, तो मामला कुलाध्यक्ष को भेजा जा सकता है, जिसका निर्णय अंतिम होगा।

(2) प्रबंध बोर्ड में निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थातः-

(i) शेख़-उल-जामिया (कुलपति), जो अध्यक्ष होगा;

(ii) नायब शेख़-उल-जामिया (प्रतिकुलपति);

(iii) संकायाध्यक्ष, शिक्षा संकाय;

(iv) प्राचार्य, उच्चतर माध्यमिक विद्यालय;

(v) प्रधान अध्यापक, मिडिल स्कूल;

(vi) निदेशक, नर्सरी विद्यालय;

(vii) निदेशक, बालक माता केंद्र;

(viiii) दिल्ली के उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के प्राचार्यों में से एक प्राचार्य, जो शेख़-उल़-जामिया (कुलपति) द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाएगा;

(ix) सचिव, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, दिल्ली;

(x) विद्यालयों का एक सहायक कुलसचिव, जो सचिव होगा।

बशर्ते कि बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 21 और 22 तथा इसके तहत बनाए गए नियमों के नियम 3, 4 और 5 के प्रावधानों के अनुसार जामिया स्कूलों में प्रारंभिक शिक्षा को विनियमित करने के लिए एक स्कूल प्रबंधन समिति होगी।

(3) प्रबंध बोर्ड निम्नलिखित शक्तियों का प्रयोग करने के लिए सक्षम होगा, अर्थातः-

(i) अध्यापन और प्रशासनिक कर्मचारिवृंद के सदस्यों को इस प्रयोजन के लिए गठित चयन समितियों की सिफारिश पर नियुक्त करना और नियुक्त किए गए ऐसे सभी व्यक्ति विश्वविद्यालय के कर्मचारी होंगे और वे इस अधिनियम इन परिनियमों, अध्यादेशों और विनियमों द्वारा शासित होंगे;

(ii) वित्त; लेखा, कारबार तथा विद्यालयों के अन्य प्रशासनिक कार्यों का प्रबंध करना ओर विनियमित करना;

(iii) परीक्षक, अनुसीमक और परीक्षा के संचालन से संबंधित अन्य व्यक्तियों को नियुक्त करना तथा उनका पारिश्रमिक नियत करना;

(iv) छात्रवृत्तियाँ, अध्ययनवृत्ति, पदक, प्रमाणपत्र और पुरस्कार संस्थित करना और उनके दिए जाने को विनियमित करना;

(v) विद्यालयों के अध्यापन और प्रशासनिक कर्मचारिवृन्द के सदस्यों की शिकायतें ग्रहण करना और उनका न्यायनिर्णयन करना; और

(vi) ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग करना तथा ऐसे कृत्य करना जो विद्यालयों के अबाध कार्यकरण के लिए आवश्यक समझे जाएं।

24. मजलिए-ए-मालियात (वित्त समिति) :

(1) मजलिस-ए-मालियात (वित्त समिति) में निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थातः-

(i) शेख़-उल-जामिया (कुलपति);

(ii) नायब शेख़-उल-जामिया (प्रतिकुलपति);

(iii) संकायों के दो अध्यक्ष, जो मजलिस-ए-मुंतजेमा (कार्य परिषद्) द्वारा नामनिर्दिष्ट किए जाएंगे;

(iv) मजलिस-ए-मुंतजेमा (कार्य परिषद्) द्वारा अपने सदस्यों में से नामनिर्दिष्ट दो व्यक्ति, जो विश्वविद्यालय की सेवा में न हों;

(v) कुलाध्यक्ष द्वारा नामनिर्दिष्ट किए जाने वाले तीन व्यक्ति।

(2) वित्त अधिकारी, समिति का पदेन सचिव होगा, किन्तु वह समिति का सदस्य नहीं होगा।

(3) लेखाओं की परीक्षा और व्यय को प्रस्थापनाओं की जांच के लिए मजलिस-ए-मालियत (वित्त समिति) का अधिवेशन वर्ष में कम से कम दो बार होगा।

(4) मजलिस-ए-मालियत (वित्त समिति) के पदेन सदस्यों से भिन्न सभी सदस्य तीन वर्ष की अवधि तक पद धारण करेंगे।

(5) गणपूर्ति मजलिस-ए-मालियत (वित्त समिति) के पांच सदस्यों से होगी।

(6) वित्त अधिकारी द्वारा तैयार किए गए विश्वविद्यालय के वार्षिक लेखे और वित्तीय प्राक्कलन मजलिस-ए-मालियत (वित्त समिति) के समक्ष विचार और टीका-टिप्पणी के लिए रखे जाएंगे और तत्पश्चात् मजलिस-ए-मुंतजेमा (कार्य परिषद्) को अनुमोदन के लिए भेजे जाएंगे।

(7) मजलिस-ए-मालियत (वित्त समिति) वर्ष में कुल आवर्ती व्यय और कुल अनावर्ती व्यय के लिए सीमाएं नियत करेंगी, जो विश्वविद्यालय की आय और साधनों पर आधारित होगी (जिसके अंतर्गत उत्पादक कार्य को दशा में उधारों के आगम भी हो सकेंगे) और इस प्रकार नियत सीमाओं से अधिक व्यय विश्वविद्यालय द्वारा नहीं किया जाएगा।

(8) बजट में उपबंधित से भिन्न कोई व्यय विश्वविद्यालय द्वारा मजलिस-ए-मालियत (वित्त समिति) के अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा।

25. चयन समितियाँ:

(1) आचार्य, उपाचार्य, प्राध्यापक, पुस्तकालयाध्यक्ष, कुलसचिव, वित्त अधिकारी तथा विश्वविद्यालय द्वारा चलाई जाने वाली संस्थाओं के प्राचार्यों के पदों पर नियुक्ति के लिए मजलिस-ए-मुंतजेमा (कार्य परिषद्) की सिफारिश करने के लिए चयन समितियां होंगी।

(2) नीचे की सारणी के स्तंभ (1) में विनिर्दिष्ट पदों पर नियुक्ति के लिए चयन समिति में शेख़-उल-जामिया (कुलपति), नायब शेख़-उल-जामिया (प्रतिकुलपति), कुलाध्यक्ष का एक नामनिर्देशिती और उक्त सारणी के स्तंभ (2) में तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट व्यक्ति होंगे:

परन्तु जहाँ किसी संस्था में अध्यापक की नियुक्ति की जानी हो, वहां उस संस्था का प्राचार्य भी ऐसी नियुक्ति के लिए गठिन चयन समिति का पदेन सदस्य होगाः

सारणी

(1)		(2)
आचार्य	(i)	संबंधित विभाग का अध्यक्ष, यदि वह आचार्य हो;
	(ii)	एक आचार्य जो शेख़-उल-जामिया (कुलपति) द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाएगा;
	(iii)	तीन व्यक्ति, जो विश्वविद्यालय की सेवा में न हों, और जो मजलिस-ए-मुंतजेमा (कार्य परिषद्) द्वारा उन नामों के पैनल में से नामनिर्दिष्ट किए जाएंगे जिनकी सिफारिश मजलिस-ए-तालीमी (विद्या परिषद्) द्वारा उस विषय में, जिससे आचार्च संबद्ध होगा, विशेष ज्ञान या रुचि के कारण की गई हो।
आचार्य/प्राध्यापक	(i)	संबंधित विभाग का अध्यक्ष;
	(ii)	एक आचार्य जो शेख़-उल-जामिया (कुलपति) द्वारा नामनिर्दिष्ट किया

		जाएगा;
	(iii)	दो व्यक्ति, जो विश्वविद्यालय की सेवा में न हों, और जो मजलिस-ए-मुंतजेमा (कार्य परिषद्) द्वारा उन नामों के पैनल में से नामनिर्दिष्ट किए जाएंगे जिनकी सिफारिश मजलिस-ए-तालीमी (विद्या परिषद्) द्वारा, उस विषय में, जिससे उपाचार्य या प्राध्यापक संबद्ध होगा, विशेष ज्ञान या रुचि के कारण की गई हो।
मुसज्जिल (कुलसचिव)/ वित्त अधिकारी	(i)	मजलिस-ए-मुंतजेमा (कार्य परिषद्) द्वारा नामनिर्दिष्ट उसके दो सदस्य;
	(ii)	मजलिस-ए-मुंतजेमा (कार्य परिषद्) द्वारा नामनिर्दिष्ट एक व्यक्ति, जो विश्वविद्यालय से संबंधित न हो।
पुस्तकालयाध्यक्ष	(i)	दो व्यक्ति, जो विश्वविद्यालय की सेवा में न हों, और जिन्हें पुस्तकालय विज्ञान/पुस्तकालय प्रशासन के विषय का विशेष ज्ञान हो और जो मजलिस-ए-मुंतजेमा (कार्य परिषद्) द्वारा नामनिर्दिष्ट किए जाएंगे;
	(ii)	एक व्यक्ति, जो विश्वविद्यालय की सेवा में न हो और जो कार्य परिषद दवा नामनिर्दिष्ट किया जाएगा।
विश्वविद्यालय द्वारा चलाई जाने वाली संस्था का प्राचार्य	(i)	तीन व्यक्ति, जो विश्वविद्यालय की सेवा में न हों, और जिनमें से दो मजलिस-ए-मुंतजेमा (कार्य परिषद्) द्वारा और एक मजलिस-ए-तालीमी (विद्या परिषद) द्वारा उनके ऐसे किसी विषय में विशेष ज्ञान या रुचि के कारण नामनिर्दिष्ट किए जाएंगे जिसमें उस संस्था द्वारा शिक्षा दी जा रही हो।
प्राचार्य, उच्चतर माध्यमिक विद्यालय प्रधानाध्यापक, मिडिल स्कूल निदेशक, नर्सरी विद्यालय और निदेशक, बालक माता केंद्र	(i)	संकायाध्यक्ष, शिक्षा संकाय;
	(ii)	तीन व्यक्ति, जो जामिया के कर्मचारी नहीं हों, और जो मजलिस-ए-मुंतजेमा (कार्य परिषद्) या मजलिस-ए-तालीमी (विद्या परिषद) द्वारा सुझाए गए 7 व्यक्तियों के पैनल में से शेख़-उल-जामिया (कुलपति) द्वारा नामनिर्दिष्ट किए जाएंगे और एक व्यक्ति मजलिस-ए-मुंतजेमा (कार्य परिषद्) द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाएगा।
अन्य अध्यापक	(i)	संकायाध्यक्ष, शिक्षा संकाय;
	(ii)	संबंधित विद्यालय का प्रधान;
	(iii)	एक व्यक्ति, जो जामिया में अध्यापन कार्य नहीं करता है और जो मजलिस-ए-मुंतजेमा (कार्य परिषद्) या मजलिस-ए-तालीमी (विद्या परिषद) का भी सदस्य नहीं है, विद्यालय शिक्षा और प्रशासन में उनके अनुभव के कारण चार व्यक्तियों के पैनल में से शेख़-उल-जामिया (कुलपति) द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाएगा।
पुस्तकालय कर्मचारिवृन्द		मजलिस-ए-मुंतजेमा (कार्य परिषद्) (समय-समय पर), पुस्तकालयाध्यक्ष से भिन्न पुस्तकालय कर्मचारिवृन्द के लिए एक स्थायी चयन समिति नियुक्त करेगी।
प्रशासनिक कर्मचारिवृन्द		मजलिस-ए-मुंतजेमा (कार्य परिषद्) (समय-समय पर), प्रशासनिक कर्मचारिवृन्द के लिए एक स्थायी चयन समिति नियुक्त करेगी।

(3) शेख़-उल-जामिया (कुलपति) या उसकी अनुपस्थिति में नायब शेख़-उल-जामिया (प्रतिकुलपति) चयन समिति के अधिवेशनों की अध्यक्षता करेगा।

(4) चयन समिति के अधिवेशन शेख़-उल-जामिया (कुलपति) या उसकी अनुपस्थिति में नायब शेख़-उल-जामिया (प्रतिकुलपति) द्वारा बुलाए जाएंगे।

(5) सिफ़ारिशें करने में चयन समिति द्वारा अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया अध्यादेशों में अधिकथित की जाएगी।

(6) यदि मजलिस-ए-मुंतजेमा (कार्य परिषद्) समिति द्वारा की गई सिफारिशें स्वीकार करने में असमर्थ हो तो वह अपने कारण लेखबद्ध करेगी और मामले को अंतिम आदेश के लिए कुलाध्यक्ष को भेजेगी।

(7) अस्थायी पदों पर नियुक्ति निम्नलिखित रीति से की जाएगीः-

(i) यदि अस्थायी रिक्ति एक शैक्षणिक सत्र से अधिक लंबी अवधि के लिए है तो पूर्वगामी खंडों में, अधिकथित प्रक्रिया के अनुसार चयन समिति की सलाह से भरी जाएगी;

(ii) यदि अस्थायी रिक्ति एक शैक्षणिक सत्र की अवधि के कम अवधि के लिए है तो वह स्थानीय चयन समिति की सिफ़ारिश से भरी जाएगी जिसमें संकायाध्यक्ष, विभागाध्यक्ष और शेख़-उल-जामिया (कुलपति) का एक नामनिर्देशिती होगाः

परंतु यदि एक ही व्यक्ति संकायाध्यक्ष और विभागाध्यक्ष का पद धारण करता है तो चयन समिति में शेख़-उल-जामिया (कुलपति) के दो नामनिर्देशिती होंगेः

परंतु यह और कि मृत्यु के कारण या किसी अन्य कारण से हुई अध्ययन पदों में अचानक आकस्मिक रिक्तियों की दशा में, संकायाध्यक्ष, संबंधित विभागाध्यक्ष के परामर्श से एक मास के लिए अस्थायी नियुक्ति कर सकेगा और ऐसी नियुक्ति की रिपोर्ट शेख़-उल-जामिया (कुलपति) और मुसज्जिल (कुलसचिव) को देगा।

(iii) अस्थायी रूप में नियुक्त किए गए किसी भी अध्यापक को, यदि इन परिनियमों के अधीन उसकी नियुक्ति की एक नियमित चयन समिति द्वारा सिफारिश नहीं की गई है, ऐसे अस्थायी नियोजन पर सेवा में तब तक बना रहने नहीं दिया जाएगा, या उसे नई नियुक्ति नहीं दी जाएगी, उसे जजब तक कि उसे, यथास्थिति या स्थायी नियुक्ति के लिए स्थानीय चयन समिति या नियमित चयन समिति द्वारा बाद में चयन नहीं कर लिया जाता।

(8) पूर्वगामी खंडों में किसी बात के होते हुए भी, मजलिस-ए-मुंतजेमा (कार्य परिषद्) किसी उच्च विद्या संबंधी विशेष उपाधियों तथा वृत्तिक योग्यता वाले व्यक्ति को आमंत्रित कर सकेगी कि वह विश्वविद्यालय के आचार्य के पद को, ऐसे निबंधनों और शर्तों पर जो वह ठीक समझे, स्वीकार करे और उस व्यक्ति के ऐसा करने के लिए सहमत होने पर उसे उस पद पर नियुक्त कर सकेगा।

(9) विश्वविद्यालय की मजलिस-ए-मुंतजेमा (कार्य परिषद्) किसी अन्य विश्वविद्यालय या संस्था में काम करने वाले किसी अध्यापक या अन्य शैक्षिक कर्मचारिवृंद की, संयुक्त परियोजना को चलाने के लिए, अध्यादेशों में विहित रीति के अनुसार नियुक्त कर सकेगी।

टिप्पण 1- जहाँ नियुक्ति अंतर-विषयक परियोजना के लिए की जा रही हो वहां परियोजना का प्रधान संबंधित विभाग का अध्यक्ष समझा जाएगा।

टिप्पण 2- नामनिर्दिष्ट किया जाने वाला आचार्य उस विशिष्ट विषय से संबद्ध आचार्च होगा जिसके लिए चयन किया जा रहा है और शेख़-उल-जामिया (कुलपति) किसी आचार्य को नामनिर्दिष्ट करने से पूर्व विभागाध्यक्ष और संकायाध्यक्ष से परामर्श करेगा।

(10) मजलिस-ए-मुंतजेमा (कार्य परिषद्) पूर्वगामी खंडों में अधिकथित प्रक्रिया के अनुसार चयन किए गए किसी व्यक्ति को एक नियत अवधि के लिए ऐसे निबंधनों और शर्तों पर, जो वह ठीक समझे, नियुक्त कर सकेगी।

26. समितियाँ:

विश्वविद्यालय का कोई प्राधिकरण उतनी स्थायी या विशेष समितियाँ स्थापित कर सकेगा जितनी वह ठीक समझे, जिनमें ऐसे स्थापित करने वाले प्राधिकरण के सदस्य तथा ऐसे अन्य व्यक्ति (यदि कोई है) होंगे, जिन्हें वह प्राधिकरण, प्रत्येक मामले में, ठीक समझे; और ऐसी कोई समिति किसी ऐसे विषय में कार्यवाही कर सकेगी जो उसे सौंपी जाए; किंतु यह बाद में उसे स्थापित करने वाले प्राधिकरण की पुष्टि के अधीन होगी।

27. विश्वविद्यालय के अध्यापकों की सेवा के निबंधन और शर्तें:

(1) विश्वविद्यालय के सभी अध्यापक, तत्प्रतिकूल किसी करार के अभाव में, परिनियमों, अध्यादेशों और विनियमों में विनिर्दिष्ट सेवा के निबंधनों और शर्तों से शासित होंगे।

(2) विश्वविद्यालय का प्रत्येक अध्यापक एक लिखित संविदा के आधार पर नियुक्त किया जाएगा जिसका प्रारुप अध्यादेशों द्वारा विहित किया जाएगा और संविदा की एक प्रति मुसज्जिल (कुलसचिव) के पास भी रखी जाएगी।

28. ज्येष्ठता सूचीः

(1) जब कभी इन परिनियमों के अनुसार किसी व्यक्ति की विश्वविद्यालय का कोई पद धारण करना ही या उसके किसी प्राधिकरण का सदस्य ज्येष्ठता के अनुसार चक्रानुक्रम से होना हो, ऐसी ज्येष्ठता का अवधारण उस व्यक्ति के, उसके ग्रेड में निरंतर सेवाकाल के अनुसार और अन्य ऐसे सिद्धांतों के अनुसार, जो मजलिस-ए-मुंतजेमा (कार्य परिषद्) समय-समय पर अवधारित करे, किया जाएगा।

(2) मुसज्जिल (कुलसचिव) का यह कर्तव्य होगा कि वह जिन व्यक्तियों को ये परिनियम लागू होते हैं उनके प्रति वर्ग की बाबत एक पूरी अद्यतन ज्येष्ठता सूची पूर्वगामी खंड के अनुसार तैयार करे और रखे।

(3) यदि दो या अधिक व्यक्तियों का किसी विशिष्ट ग्रेड में निरंतर सेवाकाल बराबर हो या किसी व्यक्ति या किन्हीं व्यक्तियों की सापेक्ष ज्येष्ठता के विषय में अन्यथा संदेह हो, तो मुसज्जिल (कुलसचिव) स्वप्रेरणा से और किसी ऐसे व्यक्ति के अनुरोध पर मामला मजलिस-ए-मुंतजेमा (कार्य परिषद्) को भेज सकेगा जिसका उस पर विनिश्चय अंतिम होगा।

29. सम्मानिक उपाधियाँ:

(1) मजलिस-ए-मुंतजेमा (कार्य परिषद्), मजलिस-ए-तालीमी (विद्या परिषद्) की सिफारिश पर, उपस्थित और मतदान करने वाले सदसयों के कम से कम दो-तिहाई बहुमत से पारित संकल्प द्वारा सम्मानिक उपाधियां प्रदान करने के लिए कुलाध्यख से प्रस्थापना कर सकेगीः

परंतु आपात की दशा में, मजलिस-ए-मुंतजेमा (कार्य परिषद्) स्वयं ऐसी प्रस्थापना कर सकेगी।

(2) मजलिस-ए-मुंतजेमा (कार्य परिषद्) उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के कम से कम दो-तिहाई बहुमत से पारित संकल्प द्वारा कुलाध्यक्ष की पूर्व मंजूरी से विश्वविद्यालय द्वारा प्रदत्त कोई सम्मानिक उपाधि वापस ले सकेगी।

30 उपाधियों, आदि का वापस लिया जानाः

मजलिस-ए-मुंतजेमा (कार्य परिषद्) उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के कम से कम दो-तिहाई बहुमत से पारित विशेष संकल्प द्वारा विश्वविद्यालय द्वारा किसी व्यक्ति को प्रदत्त कोई उपाधि या विद्या संबंधी उपाधि या दिए गए किसी प्रमाणपत्र या डिप्लोमा को उचित और पर्याप्त कारण से वापस ले सकेगी;

परंतु ऐसा कोई संकल्प तब तक पारित नहीं किया जाएगा, जब तक उस व्यक्ति को ऐसे समय के भीतर जैसा उस सूचना में विनिर्दिष्ट किया जाए यह हेतुक दर्शित करने के लिए एक लिखित रूप में सूचना न दे दी गई हो कि ऐसा संकल्प क्यों न पारित किया जाए और जब तक मजलिस-ए-मुंतजेमा (कार्य परिषद्) द्वारा उसके आक्षेयों पर, यदि कोई है, और किसी साक्ष्य पर, जो वह अपने समर्थन में पेश करना चाहे, विचार न कर लिया गया हो।

31 विश्वविद्यालय के छात्रों में अनुशासन बनाए रखनाः

(1) छात्रों के संबंध में अनुशासन और अनुशासनिक कार्रवाई संबंधी सभी शक्तियाँ शेख़-उल-जामिया (कुलपति) में निहित होंगी।

(2) शेख़-उल-जामिया (कुलपति) अपनी सभी या किन्हीं शक्तियों को जो वह ठीक समझे, किसी ऐसे अधिकारी को जिसे वह इस निमित्त विनिर्दिष्ट करे, प्रत्यायोजित कर सकेगा।

(3) शेख़-उल-जामिया (कुलपति), अनुशासन बनाए रखने से और अनुशासन बनाए रखने के हित में ऐसी कार्रवाई, जो उसे उचित प्रतीत हो, करने से संबंधित अपनी शक्तियों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए, आदेश द्वारा यह निदेश दे सकेगा कि कोई छात्र किसी विनिर्दिष्ट अवधि के लिए

निकाला या निष्कासित किया जाए अथवा विश्वविद्यालय के किसी विभाग या संस्था में एक कथित अवधि के लिए किसी पाठ्यक्रमों मे प्रविष्ट न किया जाए, अथवा उसे अतने जुर्माने का दंड दिया जाए जो आदेश में विनिर्दिष्ट हो, अथवा उसे विश्वविद्यालय या विभाग या संस्था द्वारा संचालित परीक्षा या परीक्षाओं में सम्मिलित होने से एक या अधिक वर्षों के लिए विवर्जित किया जाए अथवा संबंधित छात्र या छात्रों का, किसी ऐसी परीक्षा या परीक्षाओं के, जिनमें वह या वे सम्मिलित हुए हों, परीक्षाफल रद्द कर दिया जाए।

(4) केंद्र के अध्यक्ष, विद्यालय के प्रबंध बोर्ड के अध्यक्ष, संकायाध्यक्षों, विभागाध्यक्षों और संस्थाओं के प्राचार्यों केा प्राधिकार होगा कि वे अपने-अपने केंद्रों, विद्यालयों, संकायों, संस्थाओं और विभागों में छात्रों पर ऐसी सब अनुशासनिक शक्तियों का प्रयोग करें जो उन केंद्रों, विद्यालयों, संकायों, विभागों और संस्थाओं के उचित संचालन के लिए आवश्यक हों।

(5) शेख़-उल-जामिया (कुलपति) की शक्तियों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, अनुशासन और उचित आचरण संबंधी विस्तृत नियम विश्वविद्यालय द्वारा बनाए जाएंगे। केंद्र के अध्यक्ष, विद्यालय के प्रबंध बोर्ड के अध्यक्ष, केंद्रों के निदेशक, संकायाध्यक्ष और विभागों के अध्यक्ष तथा संस्थाओं के प्राचार्य ऐसे अनुपूरक नियम बना सकेंगे जो वे पूर्वोक्त प्रयोजनों के लिए आवश्यक समझे।

(6) प्रवेश के समय, प्रत्येक छात्र से अपेक्षा की जाएगी कि वह इस आशय की घोषणा पर हस्ताक्षर करे कि वह स्वयं को शेख़-उल-जामिया (कुलपति) की और विश्वविद्यालय के अन्य प्राधिकारियों की अनुशासनिक अधिकारिता के अधीन अर्पित करता है।

32 संस्थाओं की स्थापनाः

संस्थाओं की स्थापना और उनका समापन इन परिनियमों द्वारा शासित होगा।

33 दीक्षांत समारोह

उपाधियां प्रदान करने या अन्य प्रयोजनों के लिए विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह उस रीति से किए जाएंगे जो अध्यादेशों द्वारा विहित की जाए।

34 अधिवेशनों का कार्यकारी अध्यक्षः

जहाँ विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकरण के या ऐसे प्राधिकरण की किसी समिति के किसी अधिवेशन की अध्यक्षता करने के लिए किसी सभापति या अध्यक्ष का उपबंध न हो वहाँ, या जब इस प्रकार उपबंधित किया गया सभापति या अध्यक्ष अनुपस्थिति हो तो, उपस्थित सदस्य ऐसे अधिवेशन की अध्यक्षता करने के लिए अपने में से एक को निर्वाचित कर लेंगे।

35. त्यागपत्रः

(1) अंजुमन (सभा), मजलिस-ए-मुंतजेमा (कार्य परिषद्), मजलिस-ए-तालीमी (विद्या परिषद) या विश्वविद्यालय के किसी अन्य प्राधिकरण का या ऐसे प्राधिकरण को किसी समिति का पदेन सदस्य से भिन्न कोई सदस्य, कुलसचिव को संबोधित पत्र द्वारा पद त्याग सकेगा और वह त्यागपत्र कुलसचिव को प्राप्त होते ही प्रभावी हो जाएगा।

(2) विश्वविद्यालय का कोई अधिकारी, चाहे वह वैतनिक हो या अन्यथा; कुलसचिव को संबोधित पत्र द्वारा पद त्याग कर सकेगाः

परंतु ऐसा त्यागपत्र उस तारीख को ही प्रभावी होगा जब वह उस रिक्ति को भरने के लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा स्वीकार लिया जाएं

36 निरर्हताएं:

(1) वह व्यक्ति विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकरण का सदस्य बनने या चुने जाने के लिए निरहित होगा यदि-

(i) वह विकृत चित्त या मूक-बधिर है;

(ii) वह अनुन्मोचित दिवालिया है;

(iii) वह ऐसे किसी अपराध के लिए जिसमें नैतिक, अधमती अंतर्चलित है, किसी न्यायालय द्वारा दोषसिद्ध किया गया है और उसकी बाबत छह मास से अन्यून कारावास से दंडादिष्ट किया गया है।

(2) यदि यह प्रश्न उठता है कि क्या कोई व्यक्ति खंड (1) में उल्लिखित निर्रहताओं में किसी एक के अधीन है या रहा है यह प्रश्न कुलाध्यक्ष को विनिश्चिय के लिए निर्देशित किया जाएगा वितथा उसका विनिश्चिय अंतिम होगा और ऐसे विनिश्चय के विरुद्ध किसी सिविल न्यायालय में कोई वाद या कार्यवाही नहीं होगी।

37. अध्यापकों का हटाया जानाः

(1) जहाँ किसी अध्यापक या, शैक्षणिक कर्मचारिवृंद के सदस्य के विरुद्ध अवचार का अभिकथन हो वहाँ शेख़-उल-जामिया (कुलपति), यदि वह ठीक समझता है तो, लिखित रुप में आदेश द्वारा उस अध्यापक को निलंबित कर सकेगा और मजलिस-ए-मुंतजेमा (कार्य परिषद्) को उन परिस्थितियों की तुरंत रिपोर्ट देगा जिनमें आदेश किया गया थाः

परंतु यदि मजलिस-ए-मुंतजेमा (कार्य परिषद्) की राय है कि मामले की परिस्थितियां ऐसी हैं कि अध्यापक या शैक्षणिक कर्मचारिवृंद के सदस्य का निलंबन नहीं होना चाहिए तो वह उस आदेश को प्रतिसंहृत कर सकेगी।

(2) मजलिस-ए-मुंतजेमा (कार्य परिषद्) किसी अध्यापक या शैक्षणिक कर्मचारिवृंद के सदस्य को सेवा-संविदा या उसकी नियुक्ति के निबंधनों में किसी बात के होते हुए भी उसे अवचार के आधार पर हटा सकेगी।

(3) यथापूर्वोक्त के सिवाय, मजलिस-ए-मुंतजेमा (कार्य परिषद्) किसी अध्यापक या शैक्षणिक कर्मचारिवृंद के सदस्य को हटाने की तभी हकदार होगी जब उसके लिए उचित कारण हो, और उसे तीन मास की लिखित रूप में सूचना दे दी गई हो या सूचना के बदले में तीन मास का वेतन दे दिया गया हो।

(4) किसी अध्यापक या शैक्षणिक कर्मचारिवृंद के सदस्य को खंड (2) या खंड (3) के अधीन तब तक नहीं हटाया जाएगा जब तक उसे उसके बारे में की जाने के लिए प्रत्यापित कार्रवाई के विरुद्ध हेतुक दर्शित करने का युक्तियुक्त अवसर न दे दिया गया हो।

(5) किसी अध्यापक या शैक्षणिक कर्मचारिवृंद के सदस्य को हटाने के लिए मजलिस-ए-मुंतजेमा (कार्य परिषद्) के उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के दो-तिहाई बहुमत की अपेक्षा होगी।

बशर्ते कि शिक्षक या शैक्षणिक स्टाफ का सदस्य सेवा से हटाए जाने के दंड के विरुद्ध समीक्षा कर सकता है, जिस पर कार्यकारी परिषद द्वारा विचार किया जा सकता है।

(6) किसी अध्यापक या शैक्षणिक कर्मचारिवृंद के सदस्य का हटाया जाना उस तारीख से प्रभावी होगा जिसको हटाने का आदेश किया जाता हैः

परंतु जहाँ कोई अध्यापक या शैक्षणिक कर्मचारिवृंद का सदस्य उसके हटाए जाने के समय निलंबित है वहाँ हटाया जाना उस तारीख से प्रभावी होगा जिससे उसे निलंबन के अधीन रखा गया था।

(7) परिनियमों में किसी बात के होते हुए भी, कोई अध्यापक या शैक्षणिक कर्मचारिवृंद का सदस्य मजलिस-ए-मुंतजेमा (कार्य परिषद्) को लिखित रूप में तीन मास की सूचना देकर या उसके बदले में विश्वविद्यालय को तीन मास के वेतन का संदाय करके पद त्याग सकेगा।

38. विश्वविद्यालय के अध्यापकों से भिन्न कर्मचारियों का हटाया जानाः

(1) अध्यापक या शैक्षणिक कर्मचारिवृंद के सदस्य से भिन्न किसी कर्मचारी का, उसको सेवा संविदा या उसकी नियुक्ति के निबंधनों में किसी बात के होते हुए भी, उस प्राधिकारी द्वारा, जो ऐसे कर्मचारी को नियुक्त करने के लिए सक्षम हो, हटाया जा सकेगा यदि-

(i) वह विकृत-चित्त या मूक-बधिर है;

(ii) वह अनुन्मोचित दिवालिया है;

(iii) वह ऐसे किसी अपराध के लिए जिसमें नैतिक अधमता अंतर्वलित है, किसी न्यायालय द्वारा दोषसिद्ध किया गया है और उसकी बाबत छह मास से अन्यून के कारावास से दंडादिष्ट किया गया है;

(iv) वह अवचार का अन्यथा दोषी हैः

परंतु कोई कर्मचारी अपने पद से तब तक नहीं हटाया जाएगा जब तक उस आशय का संकल्प मजलिस-ए-मुंतजेमा (कार्य परिषद्) द्वारा उसके उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के दो-तिहाई बहुमत से पारित न कर दिया गया हो।

(2) कोई कर्मचारी खंड (i) के अधीन तब तक नहीं हटाया जाएगा जब तक उसे उसके बारे में की जाने के लिए प्रस्थापित कार्रवाई के विरुद्ध हेतुक दर्शित करने का युक्तियुक्त अवसर न दे दिया गया हो।

(3) जहाँ ऐसा कर्मचारी खंड (1) के उपखंड (iii) या उपखंड में विनिर्दिष्ट कारण से भिन्न किसी कारण से हटाया जाए वहां उसे तीन मास की लिखित रूप में सूचना दी जाएगी या ऐसी सूचना के बदले में तीन मास का वेतन दिया जाएगा।

(4) परिनियमों में किसी बात के होते हुए भी, अध्यापक या शैक्षणिक कर्मचारिवृंद के सदस्य से भिन्न कोई कर्मचारी-

(i) यदि वह स्थायी कर्मचारी है तो नियुक्ति प्राधिकारी को तीन मास की लिखित रुप में सूचना देने या उसके बदले में विश्वविद्यालय की तीन मास को वेतन देने के पश्चात् ही पद त्याग करने का हकदार होगा;

(ii) यदि वह स्थायी कर्मचारी नहीं है तो नियुक्ति प्राधिकारी की एक मास की लिखित रूप से सूचना देने या उसके बदले में विश्वविद्यालय को एक मास का वेतन देने के पश्चात ही पद त्याग करने का हकदार होगाः

परंतु ऐसा त्यागपत्र उस तारीख से प्रभावी होगा जिसकी नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा त्यागपत्र स्वीकार किया जाता है।

39. अध्यादेश कैसे बनाए जाएंगेः

(1) अधिनियम की धारा 25 की उपधारा (3) के अधीन बनाए गए अध्यादेश मजलिस-ए-मुंतजेमा (कार्य परिषद्) द्वारा नीचे विनिर्दिष्ट रीति से किसी भी समय संशोधित निरसित या परिवर्धित किए जा सकेंगे।

(2) धारा 25 में प्रगणित मामलों के बारे में, जो उस धारा की उपधारा (1) के खंड (त) में प्रगणिम मामलों से भिन्न हैं, मजलिस-ए-मुंतजेमा (कार्य परिषद्) द्वारा कोई अध्यादेश तब तक नहीं बनाया जाएगा जब तक कि ऐसे अध्यादेश का प्रारूप मजलिस-ए-तालीमी (विद्या परिषद्) द्वारा प्रस्थापित नहीं किया गया हो।

(3) मजलिस-ए-मुंतजेमा (कार्य परिषद्) को मजलिस-ए-तालीमी (विद्या परिषद्) द्वारा खंड (2) के अधीन प्रस्थापित किसी अध्यादेश के प्रारूप को संशोधन करने की शक्ति नहीं होगी किंतु वह प्रस्थापना को नामंजूर कर सकेगी या मजलिस-ए-तालीमी (विद्या परिषद्) के पुनर्विचार के लिए उस संपूर्ण प्रारूप् को या उसके किसी भाग को किसी ऐसे संशोधन सहित जिसे मजलिस-ए-मुंतजेमा (कार्य परिषद्) सुझाव दे, वापस भेज सकेगी।

(4) जहाँ मजलिस-ए-मुंतजेमा (कार्य परिषद्) ने मजलिस-ए-तालीमी (विद्या परिषद्) द्वारा प्रस्थापित किसी अध्यादेश के प्रारूप) को नामंजूर कर दिया है या उसे वापस कर दिया है वहाँ मजलिस-ए-तालीमी (विद्या परिषद्) उस प्रश्न पर नए सिरे से विचार कर सकेगी और उस दशा में जब मूल प्रारूप उपस्थित तथा मतदान करने वाले सदस्यों के कम से कम दो-तिहाई और मजलिस-ए-तालीमी (विद्या परिषद्) के सदस्यों की कुल संख्या के आधे से अधिक बहुमत से पुनः अभिपुष्ट कर दिया जाता है तब प्रारूप मजलिस-ए-मुंतजेमा (कार्य परिषद्) को वापस भेजा जा सकेगा या तो उसे मान लेगी या उसे कुलाध्यक्ष को निर्देशित करेगी, जिसका उस पर विनिश्चय अंतिम होगा।

(5) मजलिस-ए-मुंतजेमा (कार्य परिषद्) द्वारा बनाया गया प्रत्येक अध्यादेश तुरंत प्रवृत्त होगा।

(6) मजलिस-ए-मुंतजेमा (कार्य परिषद्) द्वारा बनाया गया प्रत्येक अध्यादेश उसे अंगीकार किए जाने की तारीख से दो सप्ताह के भीतर कुलाध्यक्ष को प्रस्तुत किया जाएगा। कुलाध्यक्ष को अध्यादेश की प्राप्ति के चार सप्ताह के भीतर विश्वविद्यालय को यह निदेश देने की शक्ति होगी कि वह किसी ऐसे अध्यादेश के प्रवर्तन को निलंबित कर दे और वह मजलिस-ए-मुंतजेमा (कार्य परिषद्) को यथासंभव शीघ्र प्रस्थापित अध्यादेश पर अपने आक्षेप के बारे में सूचित करेगा। कुलाध्यक्ष विश्वविद्यालय से टिप्पणी प्राप्त कर लेने के पश्चात् अध्यादेश का निलंबन करने वाले आदेश को या तो वापस ले लेगा या अध्यादेश को नामंजूर कर देगा और उस पर उसकी विनिश्चय अंतिम होगा।

40 विनियमः

(1) विश्वविद्यालय के प्राधिकरण निम्नलिखित विषयों के बारे में इस अधिनियम, परिनियमों और अध्यादेशों से सुसंगत विनियम बना सकेंगे, अर्थात्:–

(i) उनके अधिवेशनों में अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया और गणपूर्ति के लिए अपेक्षित सदस्यों की संख्या अधिकथित करना;

(ii) उन सभी विषयों के लिए उपबंध करना जो अधिनियम, परिनियमों या विनियमों द्वारा विहित किए जाने वाले अध्यादेशों द्वारा अपेक्षित हैं; और

(iii) ऐसे सभी अन्य विषयों को उपबंध करना जो मुख्यतः ऐसे प्राधिकरणों या उनके द्वारा स्थापित समितियों के बारे में होंगे जिनके बारे में इस अधिनियम, परिनियमों या अध्यादेशों द्वारा उपबंध न किया गया हो।

(2) विश्वविद्यालय का प्रत्येक प्राधिकरण उस प्राधिकरण के सदस्यों की अधिवेशनों की तारीखों की ओर उन अधिवेशनों में विचारार्थ कार्य की सूचना देने और अधिवेशनों की कार्यवाहियों का अभिलेख रखने संबंधी उपबंध करने के लिए विनियम बनाएगा।

(3) मजलिस–ए–मुंतजेमा (कार्य परिषद्) इन परिनियमों के अधीन बनाए गए किसी विनियम के, ऐसी रीति से जो वह विनिर्दिष्ट करे, संशोधन या किसी ऐसे विनियम के रद्द किए जाने का निदेश दे सकेगी।

41. शक्तियों का प्रत्यायोजनः

अधिनियम और परिनियमों के उपबंधों के अधीन रहते हुए, विश्वविद्यालय का कोई अधिकारी या प्राधिकरण अपनी शक्तियाँ, अपने–अपने नियंत्रण में किसी अन्य अधिकारी या प्राधिकरण या व्यक्ति को इस शर्त के अधीन रहते हुए प्रत्यायोजित कर सकेगा कि इस प्रकार प्रत्यायोजित शक्तियों के प्रयोग का समग्र उत्तरदायित्व ऐसी शक्तियों का प्रत्यायोजन करने वाले अधिकारी या प्राधिकरण में निहित बना रहेगा।

42. सदस्यता और पद के लिए निवास की शर्त होनाः

इन परिनियमों में किसी बात के होते हुए भी, कोई ऐसा व्यक्ति, जो मामूली तौर पर भारत में निवासी न हो, विश्वविद्यालय का अधिकारी या विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकरण का सदस्य होने का पात्र नहीं होगा।

43. अन्य निकायों की सदस्यता के आधार पर प्राधिकरणों की सदस्यता

इन परिनियमों में किसी बात के होते हुए भी, कोइ्र ऐसा व्यक्ति, जो किसी विशिष्ट प्राधिकरण या निकाय का सदस्य होने के नाते या किसी विशिष्ट नियुक्ति का धारक होने के नाते विश्वविद्यालय में कोई पद धारण करता हो या अपनी उस हैसियत में विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकरण या निकाय का सदस्य हो, केवल तब तक पद धारण करेगा जब तक वह, यथास्थिति, उस विशिष्ट प्राधिकरण या निकाय का सदस्य या उस विशिष्ट नियुक्ति का धारक बना रहे।

44. पूर्व छात्र संगमः

(1) विश्वविद्यालय के लिए एक पूर्व छात्र संगम होगा।

(2) कोई भी व्यक्ति उस संगत का तब तक सदस्य नहीं होगा जब तक

(i) उसने ऐसा चंदा न दे दिया हो और ऐसी शर्तों को पूरा न कर दिया हो जो अध्यादेशों द्वारा विहित की जाए; और

(ii) वह जामिया मिल्लिया इस्लामिया या विश्वविद्यालय का स्नातक न हो।